# सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

**प्रथम तल, क्षेत्रीय कार्यालय वरंगल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया , 2-6-1045/1/बी, केएलएन रेड्डी कॉलोनी, हनमकोंडा, वरंगल - 506001**

**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मकान सं- 1-233, 1-234 और 1-234/1, अंगडी रोड, नरसमपेट शाखा के लिए प्रस्तावित इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य की निविदा**

**Independent External Monitor**

**Shri Anant Kumar, CES (Retd.)**
**Mob: 9911178856**
**Mail Id: anant_in@yahoo.com**

# ईओआई आमंत्रण सूचना

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम की मांग और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत भारत में गठित एक निकाय कॉर्पोरेट, जिसका प्रधान कार्यालय चंद्र मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 में है, जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाता है, प्रस्तावित फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल के लिए निविदा आमंत्रित करता है। **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरसमपेट शाखा, मकान सं- 1-233, 1-234 और 1-234/1, अंगडी रोड** के आंतरिक भाग का डेटा केबलिंग कार्य निविदा प्रक्रिया बैंक की **ओपन टेंडर (खुली निविदा)** प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाएगी। इच्छुक निविदाकारों को निविदा दस्तावेज़ों में उल्लिखित **पात्रता मानदंडों** पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रस्तावकों को निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुसार (जहाँ लागू हो) **निविदा शुल्क व्यक्तिगत रूप से** जमा करना होगा।

निविदा दस्तावेजों का एक पूरा सेट नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है :
http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender
और/या पर
https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/
निविदाएं केवल **ऑनलाइन माध्यम** से ही प्रस्तुत की जानी हैं, जैसा कि इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न **अनुबंधक–A (Annexure–A)** में उल्लिखित विवरण में बताया गया है। **भौतिक / हार्ड कॉपी** में प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें निविदा की आगे की प्रक्रिया में **विचार नहीं किया जाएगा।**
निविदा शुल्क को **ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व** उपर्युक्त पते पर जमा करना आवश्यक है।निर्धारित निविदा शुल्क (यदि छूट न दी गई हो) के बिना प्राप्त किसी भी निविदा को **अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
निविदा का प्रकार : **दो-भाग प्रणाली (Two Bid System)**

i. **"प्राविधिक निविदा (Technical Bid)"** – निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुसार, निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली तकनीकी जानकारी निविदाकारों की **प्राविधिक पात्रता (Technical Qualification)** का आधार होगी। केवल **संबंधित और आवश्यक जानकारी/दस्तावेज़** ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि कोई आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया, तो निविदा **अस्वीकृत की जा सकती है।** निविदाकारों को निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे **अत्यंत सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए।** निविदा दस्तावेज़ की प्रत्येक पृष्ठ पर **हस्ताक्षर एवं मुहर** लगाकर, **नियम एवं शर्तों की स्वीकृति** के रूप में अपलोड और प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ii. **वित्तीय / मूल्य निविदा (Financial / Price Bid)"** – निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित **नियम एवं शर्तों की स्वीकृति** के रूप में, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इसे **ऑनलाइन माध्यम से भरा / अपलोड / प्रस्तुत** किया जाना आवश्यक है।

iii. निविदा दस्तावेज़ सहित **सभी पृष्ठों (नियम एवं शर्तों सहित)** पर केवल **अधिकृत व्यक्ति** द्वारा **हस्ताक्षर एवं मुहर** लगाई जानी चाहिए।.
इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित **पात्रता मानदंडों (Eligibility Criteria)** को पूरा करने वाली फर्में ही निविदा के लिए आवेदन करें। निविदा दस्तावेज़ से संबंधित किसी भी **प्रश्न / शंका** के लिए बैंक से फोन पर श्री अब्दुल कादर शेख (मुख्य प्रबंधक) 9281118266, सुश्री आई एस प्रणया (प्रबंधक) 9681482030 संपर्क किया जा सकता है:

iv. निविदाओं में **किसी भी प्रकार की शर्तें शामिल नहीं** की जानी चाहिए। केवल **निष्पक्ष (Unconditional) निविदाएँ** ही स्वीकार की जाएँगी। किसी भी **शर्तयुक्त निविदा** को **अस्वीकृत** किया जा सकता है। यदि कोई निविदाकार **वित्तीय प्रभाव वाली शर्त** लगाने का इच्छुक है, तो उसे निविदा दस्तावेज़ को **ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए** और निविदा में कोई शर्त **नहीं डालनी चाहिए।**

v. बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा को, **पूरी तरह या आंशिक रूप से**, **स्वीकार या अस्वीकार** कर सके, और इसके लिए कोई कारण देने का बाध्य नहीं है।

**जारी किया गया कोई भी** परिशिष्ट / संशोधन (Addendum / Corrigendum) **निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।** प्री-बिड सम्मेलन (Pre-bid Conference) **और अन्य संबंधित सूचनाएँ भी केवल** बैंक की वेबसाइट **पर प्रकाशित की जाएंगी। इसलिए, आवेदकों से अनुरोध है कि वे** संशोधन / परिशिष्ट **के संबंध में जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।**

# CONTENTS


| SL.NO. | PARTICULARS |
|---|---|
| 1. | Important terms of tender |
| 2. | Vendor Information |
| 3. | General rules and instructions for the guidance of tenderers |
| 4. | General conditions of contract |
| 5. | Outline conditions of contract |
| 6. | Additional conditions of contract |
| 7. | Preamble to schedule of quantities |
| 8. | Articles of agreement |
| 9 | Specification |
| 10. | Schedule of quantities |
| 11. | Drawings |

# TECHNICAL BID

| Important terms of tender | |
|---|---|
| Location : | CENTRAL BANK OF INDIA, H NO-, 1-233, 1-234 AND 1-234/1, ANGADI ROAD, NARSAMPET |
| Tender Application Fees : | Rs.2000/- (not mandatory for MSME registered vendors) |
| Method of Procurement: | OPEN TENDER |
| Procurement System: | TWO BID SYSTEM |
| Date of issue of Notice Inviting Tender: | 24.10.2025 |
| Deadline for submission of Tender (date and time) : | 13.11.2025 at 15:00 hours |
| Tender Validity expires on : | 3 months from date of opening of bids |
| Tender opening date and time: | 13.11.2025 at 15.30 hours |
| Taxes : | Rates and total charges to be quoted inclusive of all taxes as applicable. |
| Time Period of Work : | 45 days from signing of Articles of Agreement |
| Period of Final Measurement : | One week from the date of Completion |
| Article of Agreement: | Articles of Agreement to be entered within 3 days from receipt of work order issuance. |
| Date of Commencement of work: | Two days from the date of signing of Articles of Agreement. |
| Liquidated damages : | 1% per week |
| Defect Liability Period : | 1 year from the date of completion of all works. |
| Bid Security (Earnest Money Deposit): | Rs.18,000/- (not mandatory for MSME registered vendors) |
| Payment : | Interim Payment 50% - interim bill claim of 50% of the Work Order Value<br><br>Full payment, i.e. the residual amount after adjusting the bid security and retention money minus interim bill amount (if paid) will be paid to the successful vendor on completion of all the works, as certified by the Bank Architect, after deduction of taxes as applicable. |
| Other terms : | ➢ Bidders can inspect the site before quoting the prices<br>➢ L1 will be decided on the total amount at the end of summary sheet in the financial bid.<br>➢ Rates to be quoted along with applicable taxes. |
| Retention Money : | 10% of work order value exclusive of bid security, payable by Bank only after completion of defect liability period of 1 year. |

| Vendor Information - Details to be filled in by Tenderer: | |
|---|---|
| Company Name: | |
| Address: | |
| Headed by (documentary proof to be enclosed): | |
| Name of tender signee: | |
| Whether tender signee (If other than Head of Company) is authorized to sign? If yes, authorization letter/proof to be enclosed | |
| Contact Number: | |
| Email address: | |
| Do you fall under EMD exemption for Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)? (if yes, proof to be enclosed) | |
| GSTIN (proof to be enclosed): | |
| MANDATORY - Whether in possession of registration as per extant guidelines of Ministry of Environment & Forest on disposal of hazardous waste (if yes, proof to be enclosed)? | |
| Separate DD for Application Fee and EMD drawn and Enclosed? | |
| Whether items have been inspected by you at the tender designated date and time? | |
| How did you learn about this tender being called? | |
| Have you understood and are in acceptance of all terms and conditions as outlined in this tender? | |
| Company Seal and Signature of Authorized Signatory | |
| Whether work experience of atleast 5 years in the relevant field : (document proof to be enclosed) | |
| Work orders and photos of atleast 2 projects of similar scale in the last 2 years to be enclosed. | |

## 1. निविदाकारों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, **फर्स्ट फ्लोर, रीजनल ऑफिस - वरंगल**, **2-6-1045/1/B, KLN रेड्डी कॉलोनी, हनमकोन्डा, वरंगल – 506001** की ओर से **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरसमपेट शाखा, मकान सं- 1-233, 1-234 और 1-234/1, अंगडी रोड** के प्रस्तावित इंटीरियर्स के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज़, जिनमें **योजनाएँ**, **पूर्ण विशिष्टताएँ (Specifications)**, किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों की **मात्राओं की अनुसूची (Schedule of quantities)**, और उस व्यक्ति द्वारा अनुपालन की जाने वाली **अनुबंध शर्तों का सेट** शामिल है जिसकी निविदाएँ स्वीकार की जा सकती हैं, को बैंक की वेबसाइट या सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से इस निविदा दस्तावेज़ में दिए गए वेब-लिंक के माध्यम से **24.10.2025 को सुबह 10:30 बजे से लेकर निविदाओं के बंद होने की तारीख यानी 13.11.2025 को दोपहर 3:00 बजे तक** डाउनलोड किया जा सकता है।

**कार्य के लिए स्थल (Site) की उपलब्धता नीचे दिए अनुसार है।**.

2. **निविदा को 2-कवर बोली (2-bid cover) के रूप में अपलोड किया जाना है। निविदाएँ 13.1.2025 को 15:30 बजे (या बैंक की सुविधानुसार किसी भी तारीख को) ई-रूप से खोली जाएंगी।**

3. कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय कार्य शुरू करने के लिखित आदेश की तारीख से 45 दिन है। ठेकेदारों को उनके द्वारा भरी गई दरों और निविदा राशि को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी उद्धृत (quote) करना चाहिए। प्रत्येक मद (item) के लिए राशि की गणना की जानी चाहिए और लागू कर/जीएसटी (tax/GST) सहित आवश्यक योग (requisite totals) दिया जाना चाहिए।

4. निविदा शर्तों में निर्धारित निविदा शुल्क और बयाना राशि, **रु. 18,000/-** (केवल बाईस हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय - वारंगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम तल, क्षेत्रीय कार्यालय - वरंगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2-6-1045/1/बी, केएलएन रेड्डी कॉलोनी, हनमकोंडा, वरंगल - 506001,** वरंगल में देय, प्रत्येक निविदा के सामने भौतिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए और एक सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए जिस पर **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नरसमपेट शाखा, मकान सं- 1-233, 1-234 और 1-234/1, अंगडी रोड**' के प्रस्तावित इंटीरियर्स कार्य के लिए निविदा हेतु निविदा शुल्क और बयाना राशि जमा' लिखा होना चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने के समय की समाप्ति से पहले व्यक्तिगत रूप से **बीएसडी, प्रथम तल, क्षेत्रीय कार्यालय - वारंगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2-6-1045/1/बी, केएलएन रेड्डी कॉलोनी, हनमाकोंडा, वारंगल - 506001** या **नरसमपेट शाखा** (उपर्युक्त पता) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठेकेदार की ईएमडी, जिसकी निविदा स्वीकार की जाती है, को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर प्रारंभिक सुरक्षा जमा नहीं भेजता है या पुरस्कार पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक काम शुरू नहीं करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ईएमडी को छूट दी गई है या केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

5.निविदा की स्वीकृति का अधिकार "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास रहेगा, जो स्वयं को सबसे कम निविदा (lowest tender) को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है, और/या बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुई किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। वे सभी निविदाएँ जो निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं या किसी भी दृष्टि से अधूरा (incomplete) हैं, उन्हें अस्वीकार किए जाने की संभावना है।

**6.** सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और यदि निविदाकर्ता की निविदा आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तो उसे दरों या अन्य शर्तों में संशोधन के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।.

7. निविदाओं के संबंध में प्रचार या दलाली (Canvassing) करना सख्ती से मना है, और जो ठेकेदार दलाली का सहारा लेंगे, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएँ अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी।

8. सभी दरें केवल निविदा के उचित प्रपत्र (proper form) पर ही उद्धृत (quote) की जानी चाहिए।

9. **प्रतिशत कम/अधिक (percentage below/above) युक्त आइटम दर निविदाओं (item rate tenders) को सरसरी तौर पर अस्वीकृत (summarily rejected) कर दिया जाएगा।**

10. निविदा स्वीकार होने पर, ठेकेदार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि(प्रतिनिधियों) (accredited representative(s)) का नाम नियोजक (Employer) या वास्तुकार (Architects) से निर्देश लेने की जिम्मेदारी होगी, उन्हें नियोजक को सूचित किया जाएगा।

11. दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और राशियों को केवल अंकों में ही इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनमें कोई अन्तराल न हो। कुल राशि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए। दशमलव अंकों के बाद 'p' लिखें, उदाहरण के लिए ₹ 2.15 "p", और शब्दों के मामले में, पहले "रुपये" और अंत में "पैसे" लिखें, जब तक कि दर पूरे रुपये में न हो और उसके बाद "केवल" शब्द न लिखा हो, यह हमेशा दो दशमलव स्थानों तक होना चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दर लिखते समय, राशि के ठीक बाद "केवल" शब्द लिखा जाना चाहिए और इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

12. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और निविदा के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता उद्धृत दरों पर समान प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा ।

13. इस अनुबंध के संबंध में सामग्री पर या काम के अनुबंध कर, टर्नओवर कर आदि जैसे तैयार कार्यों पर कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। निविदा सूचना में इस विशेष पहलू का उल्लेख किया जाना चाहिए।

14. कार्यों के लिए निविदा निविदा खोलने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस लेता है, तो बैंक निविदा के साथ भुगतान की गई बयाना राशि को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. काम के लिए निविदा एक ठेकेदार या ठेकेदारों द्वारा नहीं देखी जाएगी, जिन्होंने स्वयं / स्वयं निविदा दी है या जिन्होंने एक ही काम के लिए निविदा दी है और किसने निविदा दी है। इन शर्तों का पालन करने में विफलता ठेकेदारों की निविदाओं को प्रस्तुत करने के साथ-साथ निविदा को सारांश अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराएगी।

16. निविदाकार के लिए यह **अनिवार्य** होगा कि वह सभी घटक भागों के लिए निविदा प्रस्तुत करे और **निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर** करे, तथा **पूर्ण हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई निविदा दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी** अपलोड करे। कार्य आवंटित होने के बाद, निविदाकार को प्रत्येक घटक के लिए **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी के साथ अनुबंध (Agreement)** करना होगा

17. निविदाकार को केवल योग्य ठेकेदार होने के अलावा, उन एजेंसियों के साथ भी जुड़ना आवश्यक होगा जो अन्य कार्यों के लिए निविदा देने के योग्य हों और उपयुक्त वर्ग की हों।

18. उल्लिखित मूल्य स्थिर (Firm) होगा और अंतिम मूल्य पर कोई छूट (Discounts) स्वीकार्य नहीं होगी।

19. यदि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि साइट पर तीन दिनों से अधिक अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो इसे ठेकेदार द्वारा अनुबंध का समाप्त होना माना जाएगा।

**सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर**

## 2. अनुबंध की सामान्य शर्तें

**सभी कार्य,** जब तक कि मात्रा तालिका (Schedule of Quantities) में किसी विशेष आइटम का विवरण, विनिर्देश (Specifications), शर्तें (Conditions) और चित्र (Drawings) में अलग उल्लेख न किया गया हो**,** मानक विनिर्देशों (Standard Specifications) **के अनुसार और** नियोक्ता / आर्किटेक्ट्स (Employer/Architects) के निर्देशन में **किया जाएगा।**

**1. व्याख्या**

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्रा तालिका (Schedule of Quantities), निविदा और अनुबंध की व्याख्या करते समय, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा न हो, नीचे दिए गए शब्दों के वही अर्थ होंगे जो यहाँ निर्दिष्ट किए गए हैं।

**नियोक्ता :** "नियोक्ता" शब्द का तात्पर्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय – वरंगल, प्रथम तल, 2-6-1045/1/B, KLN रेड्डी कॉलोनी, हनमकोंडा, वारंगल – 506001 तथा बैंक की ओर से अधिकृत किसी भी कर्मचारी या प्रतिनिधि से होगा।

**स्थापत्यकार :** "स्थापत्यकार" शब्द का तात्पर्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया – आर्किटेक्ट से है। यदि किसी कारणवश उक्त आर्किटेक्ट / आर्किटेक्ट्स इस अनुबंध के उद्देश्य से अपनी सेवाएँ बंद कर देते हैं, तो नियोक्ता द्वारा इस कार्य के लिए नामित अन्य व्यक्ति इस पद के लिए माने जाएंगे।

**ठेकेदार :** "ठेकेदार" शब्द का तात्पर्य ठेकेदार स्वयं, उसके उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि, प्रतिनिधि-नियुक्त तथा उत्तरवर्ती से होगा।

**साइट :** "साइट" से अभिप्राय उस स्थान से है जहाँ कार्य निष्पादित किया जाना है, जैसा कि साइट प्लान में लाल सीमा (red border) के भीतर दर्शाया गया है। इसमें वह भवन या संरचनाएँ भी शामिल होंगी जो नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग हेतु आवंटित की गई हैं।

**चित्र** : कार्य को **चित्रों (Drawings)**, **विनिर्देशों (Specifications)**, **मात्रा तालिका (Schedule of Quantities)** तथा कार्य निष्पादन के दौरान नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले **किसी भी अतिरिक्त चित्र या निर्देशों** के अनुसार किया जाना है। कार्य से संबंधित सभी चित्र, जो ठेकेदार को दिए गए हैं, **मात्रा तालिका की एक प्रति सहित साइट पर रखे जाने चाहिए**, और आवश्यकता पड़ने पर **नियोक्ता या स्थापत्यकार (Employer/Architects)** को इन चित्रों या मात्रा तालिका का **अवलोकन (Access)** उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि किसी विस्तृत चित की आवश्यकता होती है, तो ठेकेदार को ऐसी विस्तृत चित्र और/या आयामी रेखाचित्र (dimensional sketches) तैयार करने होंगे और ऐसा कार्य शुरू करने से पहले इसे नियोजक/वास्तुकार (Employer/Architects) द्वारा पुष्टि कराना होगा। ठेकेदार को ड्रॉइंग, विशिष्टताओं (specifications) और मात्राओं की अनुसूची (schedule of quantities) में कहीं भी आने वाले मामलों पर सभी स्पष्टीकरणों के लिए या अतिरिक्त निर्देशों के लिए लिखित रूप में अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय से कम से कम 5 दिन पहले किया जाना चाहिए, ताकि नियोजक उस पर निर्णय दे सके।

**कार्य: "**कार्य" (The Works) का अर्थ होगा वह कार्य जिसे इस अनुबंध (contract) के तहत निष्पादित (executed) या किया जाना है।

**दिवालियापन का कार्य** : "दिवालियापन का कार्य" (Act of Insolvency) का अर्थ होगा प्रेसीडेंसी टाउन्स दिवालियापन अधिनियम (Presidency Towns Insolvency Act) या प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम (Provincial insolvency Act) या किसी भी संशोधनकारी क़ानूनों (amending statuaries) द्वारा परिभाषित ऐसा कोई भी कार्य।

**मात्राओं की अनुसूची**: "मात्राओं की अनुसूची" (The Schedule of Quantities) का अर्थ होगा वह मात्राओं की अनुसूची, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है और जो इस अनुबंध (contract) का एक हिस्सा है।

**2. कार्यक्षेत्र**

यह कार्य "ड्रॉइंग" और "मात्राओं की अनुसूची" के अनुसार नियोजक के (कार्य का विवरण) निर्माण से संबंधित है। इसमें निर्माण और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक और आनुषंगिक सभी सामग्री, श्रम, औजार और उपकरण, तथा प्रबंधन शामिल है। कार्य के प्रगति के दौरान और पूरा होने पर, यह नियोजक/वास्तुकार द्वारा प्रदान किए गए ड्रॉइंग में दर्शाई गई रेखाओं, ऊँचाईयों और ग्रेडों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए कोई आवश्यक विवरण ड्रॉइंग और विशिष्टताओं में छूट गया हो, तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह नियोजक/वास्तुकार को सूचित करे और नियोजक/वास्तुकार की सहमति से विवरण तैयार करे, ताकि प्रस्तावित कार्य पूरा होने पर वह स्वीकार्य हो और उपयोग के लिए तैयार हो।

नियोजक / वास्तुकार अपने पूर्ण विवेक से आगे के ड्रॉइंग और लिखित निर्देश, विवरण, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "नियोजक/वास्तुकार के निर्देश" कहा जाएगा, जो निम्नलिखित के संबंध में होंगे:

a. डिज़ाइन की गुणवत्ता या कार्यों की गुणवत्ता में परिवर्तन या संशोधन, या किसी भी कार्य को जोड़ने, हटाने या प्रतिस्थापित (बदलने) करने के संबंध में।
b. ड्रॉइंग में कोई विसंगति
c. ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई खराब सामग्री को साइट से हटाना, और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना ।

d. ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किए गए किसी भी कार्य को तोड़ना, हटाना और दोबारा निष्पादित करना ।
e. कार्य पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को काम से बर्खास्त करना ।
**f.** किसी भी व्यक्ति के काम से ढका हुआ उद्घाटन।
g. नीचे उल्लिखित कारणों से उत्पन्न किसी भी दोष की सुधार और उन्हें सही करना, तथा रखरखाव अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण।

हालांकि, नियोजक/वास्तुकार द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यस्थल पर दिए गए मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि वे बदलाव से संबंधित हैं, तो उन्हें पाँच दिनों के भीतर ठेकेदार को लिखित रूप में पुष्टि करना आवश्यक होगा।जिन कार्यों के लिए दरें मूल्य-निर्धारित मात्रा अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं, उन्हें नियोजक/वास्तुकार की लिखित अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। मूल्य-निर्धारित मात्रा अनुसूची में उल्लेखित नहीं किए गए मदों की दरें नियोजक द्वारा वास्तुकार के परामर्श से खंड "परिवर्तन " में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तय की जाएंगी।

**उन सभी फ़ैक्ट्री निर्मित उत्पादों के संबंध में, जिनके लिए बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) मुहर वाले उत्पाद उपलब्ध हैं, कार्य में केवल बीआईएस मुहर वाले उत्पादों का ही उपयोग किया जाएगा।**

**3. निविदाकर्ता स्थल का दौरा करे**

इच्छुक निविदाकर्ता को कार्यस्थल का दौरा करना होगा और स्थानीय स्थल की स्थिति, कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं, परिवहन सुविधाओं, सामग्रियों के प्रभावी उपयोग, सामग्रियों तक पहुँच और भंडारण तथा कचरा हटाने की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित होना होगा। निविदाकर्ता को अपनी निविदा में परिवहन लागत, माल ढुलाई और अन्य शुल्कों के साथ-साथ चित्रों में दर्शाए गए अनुसार कार्य के उचित निष्पादन के लिए परिवहन आदि पर पुलिस प्रतिबंध सहित किसी भी विशेष कठिनाई का भी उल्लेख करना होगा।

सफल निविदाकर्ता कार्य प्रारंभ होने के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा या नियोक्ता/वास्तुकार की राय में कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसा माना जा सकता है।

## 4. निविदायें

निविदाकर्ताओं को जारी किए गए निविदा पत्रों के पूरे सेट को, मुहर लगाने और हस्ताक्षर करने के बाद, पूरी कीमत के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर/हस्ताक्षर, निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्रों की स्वीकृति का संकेत देंगे।

मात्राओं की अनुसूची निम्नानुसार भरी जाएगी:

XIX. दर कॉलम को अंग्रेजी अंकों और अंग्रेजी शब्दों दोनों में स्याही से स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।

XX. प्रत्येक मद के लिए भरा जाने वाला राशि कॉलम और प्रत्येक उपशीर्ष के लिए राशि जैसा कि "मात्राओं की अनुसूची" में विस्तृत है

XXI. सभी सुधारों पर आद्याक्षर किए जाने हैं।

XXII. वैकल्पिक मदों के लिए राशि कॉलम, जिनके लिए मात्रा का उल्लेख किया जाना है, नहीं भरा जाएगा।

XXIII. किसी भी त्रुटि की स्थिति में, निविदा में अंकित 'मूल' दरों को ही सही दर माना जाएगा।

निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्रों में कोई अधिसूचना, लेखन या सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह अपने विकल्प पर मूल निविदा पत्रों के साथ संलग्न कागज की एक अलग शीट में अपनी टिप्पणी या संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।

नियोक्ता को बिना कोई कारण बताए, न्यूनतम या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने और प्रत्येक खंड के लिए किसी भी या सभी निविदाओं को रद्द करने या कार्य के किसी भी मद को विभाजित करके किसी भी विशेषज्ञ फर्म को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदाकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि निविदा पूरी तरह से मद दर के आधार पर है और उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक मद सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा मांगे जाने पर किसी भी या सभी दरों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियोक्ता/वास्तुकार ठेकेदार के विश्लेषण को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

कार्यों का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर "मापा कार्य" के रूप में किया जाएगा, न कि "एकमुश्त" अनुबंध के रूप में।

मात्रा अनुसूची में वर्णित सभी कार्य मदों को सभी प्रकार से पूर्ण कार्य माना जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक और परिष्करण कार्य भी शामिल हैं, जो सीधे, आरेखों, विनिर्देशों और मात्रा अनुसूची से संबंधित और यथोचित रूप से पता लगाने योग्य हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी कार्य मद के संबंध में निविदा में एकमुश्त शुल्क के मामले में, ऐसे कार्य मदों का भुगतान वास्तविक कार्य के लिए एकमुश्त शुल्क के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा देय निर्धारित किया जाएगा।

नियोक्ता को आरेखों में दर्शाए गए या विनिर्देश में वर्णित किसी भी कार्य को मात्रा अनुसूची में शामिल करने और लिखित रूप में सूचित करने का अधिकार है, लेकिन नियोक्ता की अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा कोई भी जोड़, घटा या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई भी परिवर्तन अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा।

## 5. समझौता/करार

सफल ठेकेदार को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जा सकता है और सभी टिकटों और कानूनी खर्चों के लिए भुगतान करेगा, जो इसके लिए प्रासंगिक है।

## 6. कर और शुल्क

निविदाकर्ताओं को सभी कर्तव्यों रॉयल्टी, कम और बिक्री के लिए या किसी अन्य कर या स्थानीय शुल्क के लिए उद्धृत अपनी निविदा कीमतों में शामिल होना चाहिए यदि लागू हो।

## 7. अनंतिम रकम

पी.एस. के रूप में मात्राओं की अनुसूची में वर्णित सभी अनंतिम रकम सामग्री की खरीद के लिए विशेष रूप से आवंटित किया जाएगा, न कि ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले किसी भी हैंडलिंग और फिक्सिंग के लिए। लाभ के साथ हैंडलिंग और फिक्सिंग की ऐसी लागत (परिवहन शुल्क सहित यदि ठेकेदार) को मात्राओं की अनुसूची में वर्णित अनुबंध मूल्य में अलग से शामिल किया जाएगा। इस शीर्ष के तहत कवर की गई राशि का निपटान पूरी तरह से नियोक्ता के विवरण पर होगा। ठेकेदार को नियोक्ता / वास्तुकारों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या आदेश पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उन्हें दी गई इन सामग्रियों के लिए भुगतान करना है और नियोक्ता / वास्तुकारों से अपने बिल के माध्यम से उन्हें महसूस करना है।

## 8. निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मात्रा

मात्राओं की अनुसूची में दिखाई गई मात्रा का उद्देश्य ड्राइंग में पूरी नई संरचना को कवर करना है, लेकिन नियोक्ता के पास बिना कोई कारण बताए पूरे या किसी भी अतिरिक्त के केवल एक हिस्से को निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित है।

## 9. नियोजकों द्वारा लगाए गए अन्य व्यक्ति

नियोजक इस अनुबंध में शामिल कार्य के उस हिस्से को, या किसी भी ऐसे कार्य को जो इस अनुबंध में शामिल नहीं है, अन्य एजेंसी या व्यक्तियों के माध्यम से निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार को ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ और अपने मचान (scaffolding) के उपयोग की अनुमति देनी होगी। मुख्य ठेकेदार इस संबंध में पूर्ण सहयोग करेगा।

## 10. बयाना राशि और सुरक्षा जमा

निविदाकर्ता को बयाना राशि जमा करते समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लोर, क्षेत्रीय कार्यालय - वारंगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड बिल्डिंग, बोम्मिडाला कॉम्प्लेक्स, नागरामपालेम के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में 22,000 / - (केवल बाईस हजार रुपये) के बराबर राशि जमा करनी होगी। नियोक्ता बयाना राशि पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। असफल निविदाकर्ताओं का बयाना पैसा काम देने का निर्णय लेने के तुरंत बाद या निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

सफल निविदाकर्ता जिसे अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, को प्रारंभिक सुरक्षा जमा के रूप में एक और राशि जमा करनी होगी ताकि बयाना राशि सहित स्वीकृत निविदा के मूल्य का 2% हिस्सा बनाया जा सके। प्रारंभिक सुरक्षा जमा निविदा की स्वीकृति की तारीख से 3 दिनों के भीतर किया जाना होगा, ऐसा न करने पर नियोक्ता अपने विवेक से स्वीकृति पत्र को रद्द कर सकता है और निविदा के साथ प्रस्तुत बयाना जमा को जब्त कर सकता है। प्रारंभिक सुरक्षा जमा कार्य के संतोषजनक समापन के बाद वापस कर दिया जाएगा (जैसा कि वास्तुकार द्वारा प्रमाणित है)। उपरोक्त के रूप में की गई प्रारंभिक सुरक्षा जमा के अलावा, प्रतिधारण राशि प्रत्येक चालू बिलों के सकल मूल्य के 10% की दर से प्रगतिशील रनिंग बिल से काट ली जाएगी।

प्रतिधारण राशि को दोष देयता अवधि की समाप्ति के 14 (चौदह) दिनों के बाद ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसने सभी काम संतोषजनक ढंग से किए हों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी दोषों में भाग लिया हो। प्रतिधारण धन पर अनुमति देने में कोई रुचि नहीं।

## 11. ठेकेदार सब कुछ आवश्यक प्रदान करने के लिए

ठेकेदार ड्राइंग के इरादे और अर्थ, ड्राइंग की अनुसूची, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के अनुसार काम के निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा, चाहे वह विशेष रूप से उसमें वर्णित हो या न हो, बशर्ते कि उसी से यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। ठेकेदार अपनी लागत पर कार्यों को पूरा करने के लिए जमीन और ताजे पानी के लिए खुद को प्रदान करेगा। नियोक्ता किसी भी हालत में ठेकेदार द्वारा कहीं और से प्राप्त किराए के जमीन या ताजे पानी के लिए किए गए खर्चों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

व्यक्तिगत वस्तुओं के खिलाफ उद्धृत दरों में उक्त वस्तुओं को पूरा करने या अनुबंध के चिंतन में काम करने के लिए आवश्यक सब कुछ शामिल होगा, और इकाई मूल्य से परे आकस्मिक या आकस्मिक कार्य, श्रम और / या सामग्री के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। निविदा दस्तावेजों में निर्धारित विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी करों और कर्तव्यों को शामिल करना।

ठेकेदार हर समय नियोक्ता द्वारा नियोजित या इमारतों पर नियोजित किसी भी श्रमिक तक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें पानी उपलब्ध कराएगा और काम में कोई छेद, खांचे आदि छोड़ेगा या बनाएगा। जहां नियोक्ता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जो ऐसे कामगार को पाइप, इलेक्ट्रिकल वायरिंग विशेष फिटिंग आदि बिछाने या ठीक करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। निविदाकर्ताओं की उद्धृत दरों में तदनुसार उपरोक्त सभी उल्लेखनीय आकस्मिक कार्य शामिल होंगे।

## 12. समय और प्रगति चार्ट के पूरा होने/विस्तार का समय

पूरा काम 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभी तरह से पूरा किया जाना है। कार्य को स्वीकृति पत्र की तारीख या साइट सौंपने की तारीख, जो भी पहले हो, से 2 दिनों के भीतर शुरू किया गया माना जाएगा। समय अनुबंध का सार है और ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

काम को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता/वास्तुकारों ने लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर दिया है कि यह पूरा हो गया है और दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू होगी।

समय का विस्तार: यदि नियोक्ता/वास्तुकारों की राय में कार्यों में देरी होती है (ए) किसी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (बी) नियोक्ता के निर्देशों के कारण या आसपास के या आसपास के मालिकों के साथ की गई कार्यवाही या विवादों के परिणामस्वरूप या (सी) कार्यों द्वारा, या नियोक्ता द्वारा नामित अन्य ठेकेदारों की देरी और विनिर्देश में संदर्भित नहीं है या (डी) अधिकृत अतिरिक्त और परिवर्धन के कारण या (ई) श्रमिकों के किसी भी संयोजन या हड़ताल या लॉकडाउन के कारण भवन व्यापार या (एफ) को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों से, जिन पर नियोक्ता विचार कर सकता है, ठेकेदार के नियंत्रण से परे हैं, अनुबंध के लिए अनुमत समय के पूरा होने पर नियोक्ता उसके संबंध में पूरा करने के लिए उचित और उचित समय का विस्तार करेगा। यदि नियोक्ता ऊपर निर्दिष्ट दिन पर साइट का कब्जा देने में विफल रहता है, तो पूरा होने का समय उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार, तुरंत नियोक्ता को उसकी लिखित सूचना देगा। फिर भी वह देरी को रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए यहां पूरा करने के लिए समय के किसी भी विस्तार (जो अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो सकता है। ) और ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के समापन पर प्रख्यापित किया जाएगा और नियोक्ता तब होगा, एक विस्तार दिए जाने की स्थिति में, अंतिम पूर्णता तिथि निर्धारित करेगा और घोषित करेगा। परिसमाप्त क्षतियों के भुगतान के संबंध में खंड 13 में प्रावधान का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा जैसे कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित विस्तारित तिथि प्रस्तुत की गई थी और तदनुसार नुकसान की कटौती की जाएगी।

**कार्य की प्रगति:** इस अवधि के दौरान ठेकेदार कार्य शुरू होने से ठीक पहले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम चार्ट के आधार पर आनुपातिक प्रगति बनाए रखेगा और नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी। ठेकेदार को पहले से ही दुर्लभ सामग्री की खरीद की योजना भी शामिल करनी चाहिए और कार्यक्रम चार्ट में इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए ताकि परियोजना को पूरा करने में कोई देरी न हो।

## 13. परिसमापन हर्जाना

मामले के लिए उपयुक्त, विलंब के प्रति सप्ताह एलडी की मात्रा के लिए प्रविष्टि निम्नलिखित में से चुनी जानी चाहिए:

| | |
|---|---|
| For contracts having time for completion 6 months and less. | 1.00% of the estimated amount shown in the Tender per week. |
| For contracts having time for completion Exceeding 6 months But not exceeding 2 years (24 months) | 0.50% of the Estimated amount shown in the tender per week |

| | |
|---|---|
| For contracts having Time for completion In excess of 2 years | 0.25% of the Estimated amount shown in the tender per week. |
| The entry of the quantum of the maximum LD, the accrual of which entitles the Bank to conclude the contract should be selected from the following as may applicable: | |
| For contracts having Time for completion 6 months and less | 10.0% of the accepted Contract Sum |
| For contracts having Time for completion Exceeding 6 months But not exceeding 1 year | 7.5% of the accepted contract sum. Subject to the provision of para below. |

## 14. उपयुक्त प्राधिकारी और मालिकों की सूचना और पेटेंट

ठेकेदार कार्य से संबंधित विधायिका के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी प्राधिकरण और/या किसी भी पानी, प्रकाश और अन्य कंपनियों, और/या अधिकारियों के नियमों और उपनियमों के अनुरूप होगा, जिनकी प्रणालियों के साथ संरचनाओं का संबंध प्रस्तावित था।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों के लिए आवश्यक सभी नोटिस देने की व्यवस्था करेगा। विनियम या उपनियम - किसी भी प्राधिकरण को दिए जाने वाले कानून और ऐसे प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक अधिकारी को सभी शुल्क का भुगतान करने के लिए जो काम के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकते हैं और नियोक्ता के पास रसीद दर्ज कर सकते हैं।

ठेकेदार काम के निष्पादन के मामले में भवन, सड़कों या जनता के सदस्यों के संबंध में सभी दावों या पेटेंट अधिकारों, रॉयल्टी क्षति के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों का बचाव करेगा और नियोक्ता को ऐसे कार्यों, लागतों और खर्चों से हर तरह से हानिरहित और क्षतिपूर्ति रखेगा।

## 15. अभिगम:

नियोक्ता के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के पास उचित समय पर कार्यशाला, कारखानों या अन्य स्थान तक मुफ्त पहुंच होगी जहां कार्यों के लिए सामग्री तैयार की जा रही है या निर्माण किया जा रहा है और किसी भी स्थान पर जहां सामग्री पड़ी है या जहां से प्राप्त की जा रही है, और ठेकेदार सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और जांच और परीक्षण के लिए बैंक या उनके प्रतिनिधि को हर सुविधा देगा। नियोक्ता के प्रतिनिधि को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 16. सामग्री, कारीगरी, नमूना, सामग्री का परीक्षण

विनिर्देशों में निर्दिष्ट और प्रदान किए गए सभी कार्य या जिन्हें संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम और अनुमोदित गुणवत्ता की सामग्री के साथ उनकी संपूर्ण संतुष्टि से विनिर्देशों में निहित और निहित विवरणों के अनुसार किया जाना आवश्यक हो सकता है। यदि काम के निष्पादन के दौरान नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा आवश्यक हो, और उनकी पूरी संतुष्टि। यदि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा आवश्यक हो तो ठेकेदार अनुमोदित सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में या नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा निर्धारित अपनी लागत पर सामग्री और कारीगरी पर परीक्षण करेगा ताकि यह साबित किया जा सके कि सामग्री आदि। प्रासंगिक बीआईएस के अनुरूप परीक्षण के तहत या जैसा कि विनिर्देशों में निर्दिष्ट है। मोल्ड (कंक्रीट क्यूब के मामले में) परिवहन, परीक्षण आदि की तैयारी के लिए आवश्यक शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा। किसी भी स्थिति में इस खाते में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबंध के तहत काम के पूर्ण प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी सामग्री (अन्यथा वर्णित को छोड़कर) स्टोर उपकरण सामान्य चैनलों के माध्यम से प्रदान किए जाने चाहिए और इसमें आयात शुल्क, बिक्री, कर नियंत्रण और अन्य शुल्क के लिए शुल्क शामिल होना चाहिए और सबसे अच्छा होना चाहिए। उनकी तरह उपलब्ध है और ठेकेदार को काम के उचित और कुशल संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। काम सबसे अच्छे काम करने वाले की तरह किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों के नमूने नियोक्ता/वास्तुकारों को प्रस्तुत किए जाएंगे जब नियोक्ता /

वास्तुकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और आदेश देने से पहले नियोक्ता/वास्तुकारों से लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि बारिश, हड़ताल, तालाबंदी या किसी अन्य कारण से काम को निलंबित कर दिया जाता है, तो ठेकेदार अपने खर्चों पर काम की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी सावधानियां बरतेगा और इनमें से किसी भी कारण से होने वाली कोई भी क्षति करेगा।

ठेकेदार किसी भी कारण, सभी नए काम और आपूर्ति, अस्थायी/दरवाजे, खिड़कियों को सुरक्षा और काम के निष्पादन के लिए किसी अन्य आवश्यक सुरक्षा से बचाएगा, चाहे वह स्वयं या विशेष ट्रेडों के पुरुषों या उप-ठेकेदार द्वारा किया गया हो और किसी भी नुकसान को ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर पूरा किया जाना चाहिए।

## 17. अनुचित कार्य को हटाना

कार्य के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी सामग्री को, जो नियोक्ता/वास्तुकार की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित समय या आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य से हटा दे। यदि अनुबंधकर्ता या ठेकेदार, कार्य को पूरा करने और उसे पूरा करने के लिए अन्य एजेंसियों को भुगतान करने से इनकार करता है, तो ऐसे किसी भी कार्य का प्रतिस्थापन या उचित पुनः निष्पादन, जो चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप नहीं है, और नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा प्रमाणित, उससे संबंधित या उससे संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे या ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं। वास्तुकारों द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र, ठेकेदार को खराब कार्य या घटिया कार्य के संबंध में उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

## 18. ठेकेदार के कर्मचारी

ठेकेदार तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम पर्यवेक्षक को काम के लिए नियुक्त करेगा जो नियोक्ता / वास्तुकारों के निर्देशों को प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए पूरे कार्य घंटों में (बारी) उपलब्ध होगा। ठेकेदार काम के निष्पादन के लिए कम से कम नए अनुभवी इंजीनियर को साइट - प्रभारी के रूप में संलग्न करेगा। ठेकेदार अपने काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयुक्त कौशल या क्षमता रखने वाले कार्य व्यक्तियों के संबंध में काम करेगा।

ठेकेदार जहां तक संभव हो काम पर मजदूरों को नियुक्त करेगा।

सोलह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति और जो भारतीय नागरिक नहीं है, उसे काम पर नहीं लगाया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा दिन-कार्य के आधार पर काम पर लगे रहने के लिए आपूर्ति किया गया कोई भी श्रमिक या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष आदेश या नियंत्रण के तहत ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति माना जाएगा।

ठेकेदार निम्नलिखित आवश्यकताओं सहित सभी श्रम कानून के प्रावधान का पालन करेगा:

a) मजदूरी भुगतान अधिनियम
b) नियोक्ता दायित्व अधिनियम
c) कामगार मुआवजा अधिनियम।
d) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और केंद्रीय नियम 1971।
e) प्रशिक्षु अधिनियम 1961।
f) उससे संबंधित कोई अन्य अधिनियम या अधिनियमन और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियम।

ठेकेदार नियोक्ता को किसी भी कामगार के दावों के खिलाफ हानिरहित और क्षतिपूर्ति रखेगा और किसी भी कामगार द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी दावे के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों और खर्चों को वहन करेगा।

## 19. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को काम से तुरंत बर्खास्त कर देगा, जो नियोक्ता की राय में अनुपयुक्त या अक्षम है या जो खुद का कदाचार कर सकता है। ऐसा निर्वहन नियोक्ता या उनके कार्यालय या कर्मचारियों के खिलाफ मुआवजे की क्षति के किसी भी दावे का आधार नहीं होगा।

## 20. व्यक्तियों को क्षति और संपत्ति बीमा आदि।

ठेकेदार, कार्य या श्रमिकों, व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को होने वाली किसी भी चोट और किसी भी उप-ठेकेदार या उसके या उप-ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी की संरचना और/या संरचना को होने वाली सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या इस अनुबंध के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हुई हो। इन क्षतियों में अन्य बातों के अलावा, सड़कें, पैदल मार्ग या रास्ते, साथ ही बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाली इमारतों और कार्यों को हुई क्षति शामिल मानी जाएगी। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति या ऐसे दावे के परिणामस्वरूप हुई क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में स्वयं को निर्दोष मानेगा। नियोक्ता को स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी दावे या क्षति के संबंध में उत्पन्न या प्रोद्भूत किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत प्रभार और व्यय की राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटने के लिए सशक्त होगा।

## 21. बीमा

जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ठेकेदार को आग और/या भूकंप-बाढ़ से होने वाली हानि या क्षति के विरुद्ध अनुबंध के पूर्ण होने तक कार्यों का बीमा कराना होगा और उन्हें बीमाकृत रखना होगा। बीमा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से, उस राशि के लिए और नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए किया जाना चाहिए, और ऐसी अतिरिक्त राशि का प्रीमियम, ठेकेदार को अधिकृत अतिरिक्त राशि के रूप में दिया जाएगा।
जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर पॉलिसी और भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद नियोक्ता के पास जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा नहीं कराता है, तो नियोक्ता उसकी ओर से बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि ठेकेदार को देय किसी भी बिल से काट सकता है। जैसे ही पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा हो जाता है या बीमा कंपनी द्वारा कार्य को बहाल कर दिया जाता है, यदि ठेकेदार ऐसा करना चाहे, तो ठेकेदार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार, उसी तरह कार्य पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से आगे बढ़ना होगा जैसे आग लगने की घटना न हुई हो।

## 22. लेखा रसीदें और वाउचर

ठेकेदार, नियोक्ता/वास्तुकारों के अनुरोध पर, उन्हें इस अनुबंध के अंतर्गत कार्यों के संबंध में आवश्यक सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर उपलब्ध कराएगा। यदि ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत आवश्यक सामग्री से कम सामग्री का उपयोग करता है, तो उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और वास्तव में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा के अंतर की राशि उसके देय राशि से काट ली जाएगी। इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
किसी भी कार्य का माप लेने से पहले, साइट इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद मापन में उपस्थित होने में विफल रहता है या मापन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर साइट इंजीनियर द्वारा अपेक्षित तरीके से प्रतिहस्ताक्षर करने या अंतर दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में साइट इंजीनियर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधीनस्थ द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसी सूचना के बाद लिया गया मापन अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार को उस पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

## 23. अग्रिम भुगतान और सुरक्षित अग्रिम

जो कार्य वास्तव में किया गया है, परंतु जिसका माप और बिल तैयार नहीं किया गया है, उसके लिए सामान्यतः अग्रिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। भुगतान केवल तभी किया जाना चाहिए जब कार्य का विस्तृत माप लिया और दर्ज किया गया हो तथा ठेकेदार का बिल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।

हालाँकि, आवश्यकता पड़ने पर आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित राशि के 75% तक की अग्रिम भुगतान राशि चल रहे बिलों पर दी जा सकती है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगला चल रहा बिल भुगतान करने से पहले मापों की परीक्षण-जाँच (test checking) और बिलों की छानबीन (scrutiny) पूरी कर ली गई हो।
जिन ठेकेदारों का अनुबंध पूर्ण कार्य (finished work) के लिए है, उन्हें साइट पर लाए गए सामग्रियों की सुरक्षा के बदले **सुरक्षित अग्रिम (secured advances)** दिए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में, सक्षम प्राधिकारी इन सामग्रियों के मूल्य (चालान/मूल्यांकन मूल्य) के **अधिकतम 75%** तक अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सामग्री **टिकाऊ (durable)** और **अविफल (non-failure)** प्रकृति की हों, तथा उन पर एक **इंडेम्निटी बॉण्ड (Indemnity Bond)** लिया गया हो — जो इस बात की गारंटी दे कि यदि ठेकेदार कार्य को टालता है, या सामग्री की कमी या दुरुपयोग होता है, या उनकी उचित निगरानी एवं सुरक्षा पर कोई खर्च आता है, तो उसकी भरपाई सुनिश्चित की जा सके। ऐसे अग्रिमों की वसूली को तब तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ठेकेदार को सौंपा गया पूरा कार्य समाप्त न हो जाए। इनकी वसूली **ठेकेदार के कार्य बिलों** से उसी अनुपात में की जानी चाहिए, जैसे-जैसे वे सामग्री उपयोग में लाई जाती हैं, और संबंधित कार्य मद का बिल तैयार होने पर आवश्यक कटौती कर ली जानी चाहिए।

**24. भुगतान**

सभी बिल **नियोजक / आर्किटेक्ट** द्वारा निर्धारित प्रारूप में ठेकेदार द्वारा तैयार किए जाएंगे। कार्य की **50% पूर्णता** के बाद एक **मध्यवर्ती बिल (Interim Bill)** तैयार किया जाएगा। कार्यादेश मूल्य (Work Order Value) के 50% तक की **मध्यवर्ती बिल की मांग (Interim Bill Claim)** उचित प्रारूप में की जानी चाहिए, जिसमें किए गए कार्य की मात्रा का समर्थन करने वाले **विस्तृत माप (Detailed Measurements)** सम्मिलित हों। इसमें अब तक किए गए **सभी पूर्व भुगतान की कटौतियाँ** आदि स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। यह माना जाएगा कि विक्रेता (Vendor) '**मध्यवर्ती भुगतान (Interim Payment)**' से **10% राशि की कटौती** को '**रिटेंशन मनी (Retention Money)**' के रूप में स्वीकार करता है, जिसे अनुबंध की संबंधित धाराओं के अनुसार बाद में वापस किया जाएगा।

**नियोजक / आर्किटेक्ट, ठेकेदार के बिल की समुचित जांच (due scrutiny) के बाद एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि नियोजक द्वारा ठेकेदार को कितनी राशि देय है। ठेकेदार उस प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट भुगतान अवधि (period of honouring certificates) के भीतर उक्त राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।**

अंतरिम प्रमाण पत्र में उल्लिखित राशि, बिल की तिथि तक कार्य में स्थायी रूप से शामिल करने के लिए साइट पर लाई गई सामग्रियों के बिल मूल्य का 70% होगी, जिसमें नियोक्ता द्वारा इन शर्तों के खंड 10 के अनुसार प्रतिधारण राशि के रूप में रखी जाने वाली राशि और इन शर्तों के तहत पहले भुगतान की गई किस्त को घटाया जाएगा, बशर्ते प्रमाण पत्र में केवल उक्त सामग्रियों और माल का मूल्य शामिल होगा, जब से उन्हें उचित रूप से, उचित रूप से और समय से पहले नहीं लाया गया हो और कार्य के निकट रखा गया हो और वह भी केवल तभी जब मौसम या अन्य दुर्घटनाओं से पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया हो।
यदि नियोजक ने ठेकेदार को कोई सामग्री या वस्तुएँ (materials or goods) उपलब्ध कराई हैं, तो ऐसी सामग्रियों या वस्तुओं की लागत ठेकेदार को देय राशि से क्रमिक रूप से (progressively) काटी जाएगी। सभी मध्यवर्ती भुगतान (Interim Payments) केवल वास्तव में किए गए और पूर्ण किए गए कार्य के लिए माने जाएंगे। ऐसे भुगतान को किसी भी प्रकार से अपूर्ण या निकृष्ट कार्य को स्वीकार करने, हटाने, पुनर्निर्माण या पुनःस्थापित करने की बाध्यता से मुक्त नहीं माना जाएगा। इन भुगतानों को किसी भी स्थिति में अनुबंध के पूर्ण निष्पादन या उसके किसी भाग की स्वीकृति या किसी दावा-स्वीकृति (admission of claim) के रूप में नहीं समझा जाएगा। इसी प्रकार, ये भुगतान नियोजक की उन शक्तियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे जो इन शर्तों के अंतर्गत अंतिम निपटान (final settlement), लेखे-जोखे के समायोजन (adjustment of accounts), या अनुबंध से संबंधित अन्य किसी निर्णय हेतु निर्धारित की गई हैं। ठेकेदार को कार्य की पूर्णता की तिथि या साइट इंजीनियर द्वारा जारी कार्य-समापन प्रमाणपत्र (Certificate of Completion) की तिथि के एक सप्ताह के भीतर अंतिम बिल (Final Bill) प्रस्तुत करना होगा। सभी अंतिम भुगतान (Final Payments) कार्य पूर्णता के तीन माह (3 months) के भीतर किए जाएंगे।

**25. अंतिम भुगतान**

अंतिम बिल के साथ आर्किटेक्ट द्वारा जारी कार्य-समापन प्रमाणपत्र संलग्न होना आवश्यक होगा। **अंतिम बिल का भुगतान** धारा 10 **में निर्दिष्ट अनुसार, लागू** रिटेंशन मनी **और** टीडीएस **की कटौती के बाद किया जाएगा। यह राशि** दोष दायित्व अवधि **पूरी होने के पश्चात तभी वापस की जाएगी जब आर्किटेक्ट यह प्रमाणित करें कि ठेकेदार ने सभी दोषों को नियोजक की संतुष्टि के अनुसार दूर कर दिया है। ठेकेदार द्वारा** अंतिम बिल का भुगतान स्वीकार करना **इस बात का द्योतक होगा कि वह निष्पादित कार्य के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार का अतिरिक्त दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।**

**26. भिन्नता / विचलन**

ऐसे सभी **अतिरिक्त मदों / गैर-निविदा मदों** की कीमत का निर्धारण अनुबंध में उपलब्ध समान मदों के उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा। जहाँ ऐसी दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ **इंजीनियरिंग दर विश्लेषण** के अनुसार — श्रम, सामग्री तथा अन्य घटकों की प्रचलित उचित कीमतों के आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। निविदा में दी गई दरें उस स्थिति में मान्य रहेंगी जब कार्य की मात्रा में **25% तक वृद्धि या कमी** होती है। यदि परिवर्तन **±25% से अधिक** हो जाता है, तो संबंधित मद की दर **आपसी सहमति** के आधार पर पुनः निर्धारित की जा सकती है।

**27. प्रतिस्थापन**

यदि ठेकेदार किसी **सामग्री या कार्यकुशलता** को बदलना चाहता है, तो उसे इस विनिर्देश में उल्लिखित "**समान**" या "**अन्य स्वीकृत** " जैसे शब्दों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे किसी भी प्रतिस्थापन के लिए **नियोजक / आर्किटेक्ट** की **लिखित स्वीकृति** अनिवार्य होगी।

**28. निर्माण कार्य के पूरा होने पर उपयोग और उपयोग के लिए तैयारी**

ठेकेदार द्वारा पूरे कार्य का गहन निरीक्षण किया जाएगा और कमियों व दोषों को दूर किया जाएगा। निरीक्षण पूरा होने पर, ठेकेदार नियोक्ता/वास्तुकार को सूचित करेगा कि उसने कार्य पूरा कर लिया है और अब निरीक्षण के लिए तैयार है।

**29. पूरा होने पर साइट साफ़ करना**

कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को साइट से सभी निर्माण सामग्री, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा-कचरा तथा हर प्रकार के अस्थायी कार्यों को हटाना होगा तथा नियोक्ता/वास्तुकारों की संतुष्टि के अनुसार संपूर्ण साइट तथा कार्यों को साफ-सुथरा तथा श्रमिक जैसी स्थिति में छोड़ना होगा।

**30. अंतिम माप की अवधि**

कार्य पूरा होने के बाद अंतिम माप की अवधि की प्रविष्टि कार्य की जटिलता और माप करने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। कार्य प्रगति के साथ सभी छिपे हुए कार्यों की माप पहले ही हो चुकी होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक कोई लंबी अवधि निर्धारित न हो, अनुबंध की शर्तों में सामान्यतः अनुबंध पूरा होने की तिथि से तीन महीने (अधिकतम) की अवधि को अंतिम माप की अवधि के रूप में निर्धारित किया गया है। यद्यपि अधिकतम तीन महीने की अवधि का उल्लेख किया गया है, फिर भी माप को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

**31. अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का मूल्य**

जिस कार्य मूल्य के आधार पर ठेकेदार **मध्यवर्ती भुगतान** प्राप्त करने का हकदार होता है, उसका अधिकतम मूल्य सामान्यतः इस प्रकार निर्धारित किया जाता है —

**निविदा सूचना** में घोषित अनुबंध की **अनुमानित राशि** को कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमोदित **समयावधि (महीनों में)** से विभाजित करके। उपरोक्त मान को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया जाता है।

**32. पूरा होने के बाद दोष**

ठेकेदार को अपने खर्च पर और नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार उन सभी दोषों, सिकुड़न, अवसादन या अन्य दोषों की पूर्ति करनी होगी जो कार्य पूरा होने के 12 महीनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं। चूक होने पर नियोक्ता किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और उसमें संशोधन करके उसकी पूर्ति कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित ऐसी क्षति, हानि और व्यय की पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी और उसे वहन किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा ऐसी क्षति, हानि और व्यय की वसूली की जा सकेगी या ठेकेदार से की जा सकेगी। ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि में से ऐसे कार्य में संशोधन की लागत के बराबर राशि की कटौती की जा सकेगी। यदि रखी गई राशि अपर्याप्त हो, तो ठेकेदार से खंड 10 के अंतर्गत रखी गई राशि में से उस शेष राशि की वसूली की जा सकेगी। साथ ही, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी व्यय की भी वसूली की जा सकेगी।

## 33. वृद्धि

उद्धृत दर अनुबंध की पूरी अवधि (यदि कोई समय विस्तार दिया गया हो, तो उसे भी शामिल करते हुए) के दौरान स्थिर रहेगी और सामग्री की लागत, बिक्री कर, चुंगी आदि में वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार के उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं होगी, जब तक कि दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। यदि मामले-दर-मामला आधार पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जा रहे मूल्य परिवर्तन खंड का पालन किया जा सकता है।

## 34. निष्क्रिय श्रम

कारण चाहे जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में निष्क्रिय श्रमिकों, किराये की अतिरिक्त स्थापना लागत तथा औजारों और संयंत्रों के श्रम प्रभार के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 35. निलंबन

यदि ठेकेदार, नियोक्ता पर कार्य जारी रखने से रोकने वाले किसी कानूनी प्रतिबंध के कारण या नियोक्ता की राय में, अनुबंध के अपने हिस्से के निष्पादन में उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ने में विफल रहता है या यदि वह एक से अधिक बार चूक करता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देने की शक्ति होगी, जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि कार्य को उचित तरीके से और उचित गति के साथ आगे बढ़ाया जाए, ऐसा नोटिस इस खंड के तहत नोटिस माना जाएगा। ऐसा नोटिस दिए जाने के पश्चात् ठेकेदार को कार्य स्थल से या उसके समीपवर्ती किसी भी स्थान से किसी भी संयंत्र या सामग्री को ऐसे नोटिस दिए जाने की तिथि से तब तक हटाने की स्वतंत्रता होगी, जब तक कि नोटिस का अनुपालन नहीं हो जाता।

## 36. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति

अगर कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी है जो अपनी मर्ज़ी से या ज़रूरी तौर पर लिक्विडेशन में है या एक फर्म है, उसे भंग कर दिया जाता है या एक व्यक्ति होने के नाते उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह अपने ज़्यादातर क्रेडिटर्स के फ़ायदे के लिए कोई असाइनमेंट या कंपोज़िशन करता है या अपने क्रेडिटर्स के साथ कोई डीड या अरेंजमेंट करता है, या अगर ऑफिशियल असाइनी दिवालिया है, या कॉन्ट्रैक्टर का रिसीवर दिवालिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देता है, या अगर दिवालिया है, या अगर कोर्ट द्वारा नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर की फर्म का रिसीवर, नोटिस देने के चौदह दिनों के अंदर, एम्प्लॉयर को यह दिखाने में असमर्थ है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सक्षम है, और अगर एम्प्लॉयर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए उचित सिक्योरिटी दे, या अगर कॉन्ट्रैक्टर को एग्ज़िक्यूशन जारी होने देना पड़े, या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी पेमेंट को कॉन्ट्रैक्टर के क्रेडिटर्स द्वारा या उनकी ओर से अटैच होने देना पड़े, या कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पालन और किए जाने वाले सभी या किसी भी काम को करने में लापरवाही करे या फेल हो जाए। नोटिस के बाद साफ़ दिनों के अंदर काम करते समय कारीगरी पर गलत मटीरियल का इस्तेमाल करेगा, या एम्प्लॉयर की राय में ऐसा ड्यू डिलिजेंस नहीं दिखाएगा और ऐसी प्रोग्रेस नहीं करेगा जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, और एम्प्लॉयर की सैटिस्फैक्शन के अनुसार तीन साफ़ दिनों का नोटिस देने के बाद भी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा करने के लिए कहा गया हो, जैसा कि आगे बताया गया है, आगे बताए गए तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देगा या कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा, तो और ऐसे किसी भी मामले में, एम्प्लॉयर पिछली छूट के बावजूद, इसे लिखित में नोटिस देकर तय कर सकता है, जैसा कि आगे बताया गया है, लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्टर के ऑब्लिगेशन्स और लायबिलिटीज़ के एम्प्लॉयर के पावर्स पर

कोई असर नहीं पड़ेगा, जो पूरे तौर पर वैसे ही लागू रहेंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह तय नहीं किया गया था और जैसे कि बाद में किया गया काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या उसकी ओर से किया गया था (इस तरह कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में कोई ट्रस्ट बनाए बिना) इसके अलावा एम्प्लॉयर या उसके एजेंट, या उसके कर्मचारी, किसी जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़ी दूसरी पावर, बर्तन और मटीरियल को अपने कर्मचारियों और वर्कर्स को बेच सकते हैं। कार्यों को पूरा करने या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्ति को काम पूरा करने के लिए नियुक्त करने पर और ठेकेदार किसी भी तरह से काम पूरा करने और परिष्करण करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्रों का उपयोग करने में ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को बाधित नहीं करेगा, जब काम पूरा हो जाएगा, या उसके तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, नियोक्ता ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित नोटिस देगा और यदि ठेकेदार उसे प्राप्ति के बाद 14 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है और इस प्रकार प्राप्त राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट देगा।
दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने में एम्प्लॉयर को जो भी खर्च या नुकसान होगा, उसे कॉन्ट्रैक्टर को उसके टूल्स और प्लांट्स बेचने पर मिलने वाली रकम या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम पर रखने से पहले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए काम के लिए मिलने वाली रकम या सिक्योरिटी डिपॉज़िट में एडजस्ट किया जाएगा।

**37. मध्यस्थता**

इस कॉन्ट्रैक्ट के काम या उसके काम करने या मेंटेनेंस से जुड़े या बाकी ऑपरेशन या असर पर अधिकार या पार्टियों के अधिकार या देनदारियों से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े या मतभेद, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के फोरक्लोज़र या उल्लंघन के दौरान या बाद में हों (उनके अलावा जिनके बारे में किसी व्यक्ति का फैसला कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी और बाइंडिंग बताया गया है), कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी पार्टी द्वारा लिखित नोटिस देने के बाद, उनमें से किसी एक एम्प्लॉयर को, जिसका ज़िक्र नीचे किया गया है, फैसले के लिए एक सोल आर्बिट्रेटर को भेजा जाएगा, जिसे आगे बताए गए तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। ऊपर बताए गए सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के मकसद से, कर्मचारी नोटिस मिलने के तीस दिनों के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर को तीन लोगों के नामों का एक पैनल भेजेगा, जो उस समय उस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े नहीं होंगे जिसके लिए काम किया जा रहा है। ऊपर बताए गए नाम मिलने पर, कॉन्ट्रैक्टर किसी एक व्यक्ति का नाम सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर चुनेगा और नाम मिलने के तीस दिनों के अंदर एम्प्लॉयर को उसका नाम बताएगा। इसके बाद एम्प्लॉयर बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर बताए गए समय के अंदर ऊपर बताए गए चयन के बारे में बताने में नाकाम रहता है, तो सक्षम अधिकारी चयन करेगा और चुने गए व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त करेगा।

लेकिन, कॉन्ट्रैक्टर के तहत काम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान भी जारी रहेगा और ऐसी कार्रवाई की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट नहीं रोका जाएगा।

आर्बिट्रेटर समय-समय पर, पार्टियों की सहमति से, अवॉर्ड बनाने और पब्लिश करने का समय बढ़ा सकता है।

आर्बिट्रेटर उसे भेजे गए हर मतभेद के विवाद के लिए एक अलग अवॉर्ड देगा। आर्बिट्रेटर हर विवाद का फैसला कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार करेगा और एक सही अवॉर्ड देगा। आर्बिट्रेशन की जगह वह होगी जिसे आर्बिट्रेटर अपनी मर्ज़ी से तय करेगा।

अगर आर्बिट्रेटर की कोई फीस है, तो अवॉर्ड बनने या पब्लिश होने से पहले, अगर ज़रूरी हो, तो हर पार्टी उसे आधी-आधी देगी। रेफरेंस और अवॉर्ड की लागत में आर्बिट्रेटर की फीस भी शामिल है, अगर कोई हो, जो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी लागत या उसका कोई हिस्सा किसे और किस तरह से दिया जाएगा और वह लागत की रकम तय या तय कर सकता है।

आर्बिट्रेटर का फैसला आखिरी होगा और दोनों पार्टियों पर लागू होगा।

ऊपर बताई गई बातों के मुताबिक, आर्बिट्रेटर एक्ट 1940 के नियम या उसमें कोई कानूनी बदलाव या दोबारा लागू होना और उसके तहत बनाए गए नियम, जो अभी लागू हैं, इस क्लॉज के तहत आर्बिट्रेशन पर लागू होंगे।

एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर इस बात पर भी सहमत हैं कि क्लॉज के तहत आर्बिट्रेशन, उस मामले के संबंध में कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी जिसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजने के लिए साफ़ तौर पर सहमति दी गई है।

## 4. अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें

### 1. कार्य क्षेत्र

मात्राओं की अनुसूची और निविदा चित्र केवल कार्य के दायरे का संकेत हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा के साथ-साथ + 20% तक के कार्य की कुल मात्रा में भिन्नता हो सकती है। ठेकेदार कुछ वस्तुओं में से पूरी तरह से चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

### 2. पूर्णता अनुसूची

ठेकेदार को नियोक्ताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर परामर्श वास्तुकारों द्वारा उन्हें दिए गए कार्यक्रम के अनुसार काम करना होगा। ठेकेदार को उन्हें दिए गए कार्यक्रम के आधार पर बार चार्ट तैयार करने और नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा इन्हें अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी। जबकि कार्य का समग्र समापन कार्यक्रम 45 दिन होगा, कुछ वस्तुओं को कम अवधि में पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है, जो 15 से 20 दिनों तक भिन्न हो सकती है।

### 3. जल और विद्युत ऊर्जा

नियोक्ता द्वारा एक बिंदु पर नि: शुल्क प्रदान किए जाने वाले काम के लिए आवश्यक पानी और विद्युत ऊर्जा, और ठेकेदार को उनके लिए अपना वितरण और व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की लागत सरकारी टैरिफ के अनुसार ठेकेदारों द्वारा देय होगी।

### 4. अन्य नियमें एवं शर्तें

a. ठेकेदार द्वारा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत सभी ईएसआई औपचारिकताओं या नुस्खों का पालन किया जाएगा। उसे अनुबंध श्रम - विनियम और उन्मूलन अधिनियम, 1970 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
b. ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के श्रम को नियोजित नहीं करेगा और उन्हें उचित वेतन पर समान काम के लिए भुगतान की गई मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा। उचित मजदूरी पुरुषों की मजदूरी चाहे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में परिभाषित टुकड़े के काम के समय के लिए।

## 5. मात्राओं की अनुसूची की प्रस्तावना

1. निविदा आइटम दरों के आधार पर होगी जिसमें प्रासंगिक चित्रों के अनुसार पूर्ण स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए आवश्यक सामग्री, श्रम, सभी कर, शुल्क और अन्य सभी सहायक सेवाओं की लागत शामिल होगी और विनिर्देश की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। और प्रासंगिक आईएस विनिर्देश जिसमें अनुबंध की सामान्य शर्तों में वर्णित देनदारियों और दायित्वों के साथ निरीक्षण के लिए शुल्क शामिल है।
2. सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि और गिरावट या किसी भी अन्य मूल्य भिन्नता के कारण कीमतें दृढ़ और भिन्नता से मुक्त रहेंगी, चाहे निष्पादन की निर्धारित अवधि के दौरान या पूर्ण होने की विस्तारित अवधि के दौरान, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष वैधानिक को छोड़कर, सरकार के अधिनियम द्वारा वृद्धि। या स्थानीय निकाय।
**3.** मात्राओं की अनुसूची में दी गई अनुमानित मात्रा में किसी भी भिन्नता के लिए आइटम दरें मान्य रहेंगी।
**4.** विभिन्न कोटेशन की तकनीकी जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए, निविदाकर्ता को अपने कोटेशन के साथ विस्तृत तकनीकी विवरण की आपूर्ति करनी चाहिए, मात्रा की अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भागों के तहत विभिन्न वस्तुओं के लिए कैटलॉग और निर्माण चित्र बनाने चाहिए।

**5.** चित्र और विनिर्देश उपकरण और कारीगरी के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। विचलन, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा। किसी भी विचलन के अभाव में, यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता स्थानीय कोड सहित वैधानिक और अग्नि बीमा प्रावधान के साथ इरादों या विनिर्देशों और ड्राइंग और उनके अनुपालन से पूरी तरह संतुष्ट है। जहां चित्र और विनिर्देश संघर्ष करते हैं वहां अधिक कड़े आपूर्ति करेंगे ।

**6.** सभी प्रतिष्ठानों का परीक्षण निर्दिष्ट के अनुसार किया जाएगा और अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्धारित प्रपत्र में एक परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

7. आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रमाणित और मालिक द्वारा अधिग्रहित स्थापना की तारीख से **12** महीने की अवधि के लिए कारीगरी की दोषपूर्ण सामग्री के खिलाफ पूरी स्थापना की गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के दौरान**,** ठेकेदार द्वारा सभी दोषों को नि**:** शुल्क सुधारा जाएगा ।

8. कार्यों के लिए आवश्यक पानी और बिजली साइट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। विद्युत शक्ति का उपयोग प्रभार्य आधार पर किया जाएगा। यदि निर्माण के उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त स्थल पर उपलब्ध पानी है**,** तो ठेकेदार को पानी के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।

**9.** निविदाकर्ता को साइट की स्थितियों से परिचित होना चाहिए और दरों का हवाला देते समय सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए किसी भी आधार पर किसी भी अतिरिक्त की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**10.** सफल निविदाकर्ता कार्य के पूरा होने के बाद लेकिन वास्तुकारों द्वारा पूरा होने का प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले वास्तुकारों द्वारा अनुमोदित पैमाने पर तैयार की गई साइट पर निष्पादित संपूर्ण प्रतिष्ठानों के पूरा होने के चित्र की आपूर्ति करेगा।

11. पहली वरीयता की सामग्री का उपयोग किया जाएगा और ठेकेदार ऐसा न करने के लिए खुद को बाहर कर सकता है, केवल तभी जब विशेष निर्माण द्वारा निविदा विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक सीमा का निर्माण नहीं किया जाता है। ऐसे मामले के साक्ष्य को संबंधित निर्माता के एक पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा। सभी फिटिंग और सहायक उपकरणों के नमूने नियोक्ता / वास्तुकारों द्वारा उनकी स्थापना से पहले अनुमोदित किए जाएंगे।

## 6. करार के लेख

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम तल, क्षेत्रीय कार्यालय - वरंगल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2-6-1045/1/बी, केएलएन रेड्डी कॉलोनी, हनामकोंडा, वारंगल - 506001 (इसके बाद नियोक्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक भाग और (इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित, जिसमें अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे) दूसरे भाग के।

**जबकि नियोक्ता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट (इसके बाद बैंक आर्किटेक्ट के रूप में संदर्भित) द्वारा किए जाने वाले कार्य का वर्णन करने वाले ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया – निदामनूर शाखा द्वार संख्या -1-212, पोस्ट निदामनूर सागर रोड जिला-नलगोंडा 508278 के प्रस्तावित इंटीरियर के लिए निविदा का इच्छुक है।**

जबकि उक्त ड्राइंग और विनिर्देशों और मात्राओं की मूल्य अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं और

जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों (जिन्हें आगे "शर्तों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अधीन और "उक्त चित्रों" में दिखाए गए और "उक्त विनिर्देश" तथा "उक्त मूल्यांकित मात्रा अनुसूची" में वर्णित कार्य को मूल्यांकित मात्रा अनुसूची में उल्लिखित प्रतिनिधि दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है।

**अब यह इस प्रकार सहमत हुआ है:**

1. ठेकेदार को आगे निर्दिष्ट किए जाने वाले **भुगतान** के परिप्रेक्ष्य में, वह उक्त **शर्तों** के अधीन रहते हुए, उक्त **नक्शों** में प्रदर्शित कार्यों का निष्पादन एवं समापन करेगा, साथ ही परामर्शदात्री आर्किटेक्ट द्वारा उसे

उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य **विस्तृत नक्शों** तथा **विनिर्देशों** और **मूल्यांकित परिमाण-सूची** में वर्णित कार्यों को भी पूरा करेगा।

2. इन शर्तों में प्रयुक्त **"परामर्शदात्री आर्किटेक्ट "** शब्द का अर्थ होगा — उक्त **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट**, या यदि उनकी मृत्यु हो जाए अथवा वे इस अनुबंध के उद्देश्य से परामर्शदात्री आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करना बंद कर दें, तो **नियोजक** द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति। हालाँकि, ऐसा व्यक्ति वह नहीं होना चाहिए, **जिस पर ठेकेदार ने आपत्ति की हो**, बशर्ते कि वह आपत्ति **नियोजक द्वारा अपर्याप्त** नहीं मानी गई हो। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत बाद में नियुक्त किए गए कोई भी परामर्शदात्री आर्किटेक्ट, पूर्व में कार्यरत परामर्शदात्री आर्किटेक्ट द्वारा **लिखित रूप में दिए गए किसी निर्णय, स्वीकृति या निर्देश** की अवहेलना या निरस्तीकरण करने के अधिकारी नहीं होंगे।
3. उपर्युक्त योजना, समझौता और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे और सामग्री, कारीगरी या खाते से संबंधित विवाद के सभी मामलों के संदर्भ में अनुबंध की शर्तों में उल्लिखित उक्त परामर्शदाता इंजीनियरों/वास्तुकारों का निर्णय और इस अनुबंध के खंडों या इसके साथ संलग्न किसी भी अन्य दस्तावेज की इच्छित व्याख्या अंतिम होगी और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी और इसे न्यायालय का नियम बनाया जा सकता है।
4. उक्त अनुबंध में ऊपर वर्णित कार्य और उसी साइट के भीतर उससे संबंधित सभी सहायक कार्य शामिल हैं, जिन्हें उक्त नियोक्ता द्वारा समय-समय पर परामर्शदाता आर्किटेक्ट या अन्य परामर्शदाता आर्किटेक्ट के माध्यम से किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही ऐसे कार्य चित्रों में नहीं दिखाए गए हों या उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य अनुसूची में वर्णित न हों।
5. नियोक्ता इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य के चित्र और प्रकृति में परिवर्तन करने और कार्य के किसी भी मद को जोड़ने या हटाने या उसके किसी भाग को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. उक्त शर्तों को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा, और इसके पक्षकार क्रमशः इन शर्तों और अनुबंधों का पालन करेंगे और उनके अधीन रहेंगे तथा ऐसी शर्तों के अंतर्गत अपनी ओर से समझौते का पालन करेंगे।
7. इसके अलावा, इस अनुबंध की प्राप्ति के बाद नियोक्ता और ठेकेदार के बीच पत्र विनिमय, जैसा कि सूचीबद्ध है, इस अनुबंध का एक अभिन्न अंग होगा।
8. इस अनुबंध प्रपत्र के कई भाग हमें पढ़कर सुनाये गये हैं तथा हमने उन्हें पूरी तरह से समझ लिया है।

As witness our hands this Day of 2024

Signed by the Said Employer

_____

के उपस्थिती में

_____

उक्त ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित

_____

के उपस्थिति में

_____

## 7. विशेष विवरण

सभी कार्य भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
जहां भी विस्तृत विनिर्देश नहीं दिए गए हैं, कार्य सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के खंड I और II के अनुसार नवीनतम जोड़ और सुधारों के साथ किए जाएंगे।

**विनिर्देश – सामान्य आवश्यकताएँ**

1A. निविदा आरेखों की सूची निविदा दस्तावेज़ों में अन्यत्र दी गई है। ये आरेख निविदाओं और निर्माण कार्यों के लिए भी हैं। इन आरेखों को संशोधित किया जा सकता है और ठेकेदार को समय-समय पर नई संशोधित प्रतियाँ जारी की जा सकती हैं ताकि अंतिम डिज़ाइन और कार्य की प्रगति के दौरान प्रोत्साहित की जाने वाली भौतिक स्थितियों के अनुरूप इन्हें कार्य में अपनाया जा सके।
1B. केवल चित्रों पर अंकित आयामों का ही अनुसरण किया जाएगा तथा बड़े पैमाने के चित्रों को छोटे पैमाने के चित्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
1D. ठेकेदार को अपनी लागत पर विस्तृत दुकान चित्र तैयार करना होगा तथा उसे अपनाने से पहले परामर्शदाता/ग्राहक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
2A. यह विनिर्देश सामग्री और तैयार कार्य की गुणवत्ता और कारीगरी का सामान्य विवरण देने के लिए है। इसमें सूक्ष्म विवरणों को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। कार्य ठोस इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।
2B. जहां भारतीय मानक ब्यूरो या किसी अन्य समरूप निकाय के किसी मानक विनिर्देश का संदर्भ दिया जाता है, ऐसे मानक विनिर्देश के प्रस्तुत किए जाने की तिथि पर विनिर्देश के नवीनतम संशोधित संस्करण की जानकारी और प्रावधान इन विनिर्देशों में मानक प्रावधानों के विरोध में हैं, वहां बाद के प्रावधानों के लिए प्रक्रियाएं होंगी।
2C. सभी सामग्रियाँ मानक गुणवत्ता की होंगी और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित होंगी, जो भारतीय मानक या समकक्ष के अनुरूप हों। जहाँ तक संभव हो, उन पर "बीआईएस" चिह्न लगा होगा, जब तक कि सलाहकार/ग्राहक द्वारा अन्यथा अनुमोदित न किया गया हो। ठेकेदार को सभी सामग्रियों की खरीद और उपयोग से पहले सलाहकार/ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

**3. मापन और भुगतान**

3A. मात्राओं के बिल में दर्शाई गई मात्राएँ अस्थायी हैं। ठेकेदार को उद्धृत दर पर और तैयार कार्य के वास्तविक मापे गए आयामों के आधार पर भुगतान किया जाएगा, हालाँकि यह सीमा चित्रों में दर्शाए गए आयामों तक सीमित होगी, या सलाहकार/ग्राहक द्वारा निर्देशित होगी।
3B. कार्य का मापन सामान्यतः आईएस: 1200 “भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य के मापन की विधि” के अनुसार किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां निविदा की शर्तें विरोधाभासी हों।

**4. लेआउट और सर्वेक्षण**

ठेकेदार कार्य के सही और उचित समायोजन, कार्य के सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता और उससे संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों, यंत्रों और श्रमिकों की व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार होगा। यदि कार्य के किसी भाग के आयाम या संरेखण में कोई त्रुटि हो, तो ठेकेदार, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, अपने खर्चे पर ऐसी त्रुटियों को ठीक करेगा। सलाहकार/ग्राहक द्वारा किसी भी समायोजन या किसी रेखा या स्तर की जाँच करने से ठेकेदार किसी भी तरह से उसमें सुधार करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा।

**5.** निर्माण अनुसूची और पूरा होने का समय

5A. ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य शुरू होने के 7 दिनों के भीतर प्रत्येक कार्य की संपूर्ण निर्माण गतिविधियों का विवरण देते हुए एक BAR चार्ट प्रस्तुत करना होगा। इस चार्ट की समीक्षा सलाहकार/ग्राहक द्वारा की जाएगी और यदि

कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो ठेकेदार द्वारा किया जाएगा; यह चार्ट कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति के मूल्यांकन का आधार या पुनर्मूल्यांकन होगा।
5B. ठेकेदार को कार्य प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पहले चित्र जारी कर दिए जाएंगे।
5C. समय पर आरेख प्राप्त न होने के आधार पर समय विस्तार नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि उपरोक्त समय-सारिणी का पालन किया जाए।

**6. अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग**
6A. इस अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान, कई अन्य एजेंसियाँ और ठेकेदार एक साथ कार्यस्थल पर कार्य करेंगे। उचित समन्वय स्थापित करने और विलंब से बचने के लिए, इस निविदा के ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा प्रस्तावित कार्य, जिसके लिए अन्य एजेंसियों द्वारा एम्बेडिंग आदि की स्थापना और निर्धारण आवश्यक है, की पर्याप्त सूचना और सटीक तिथियाँ प्रदान करे। निर्माण गतिविधियों के दौरान अन्य एजेंसियों या स्वामियों की सभी सामग्रियों, संयंत्रों आदि की सुरक्षा और क्षति से बचाव की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से की गई क्षति या हानि की स्थिति में, सलाहकार/ग्राहक द्वारा दी गई सलाह/निर्देशानुसार उसकी पूर्ति करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

**7. कार्यों का वितरण**
कार्य के प्रत्येक भाग को समय-समय पर संचय से मुक्त रखा जाएगा और कार्य समाप्ति पर उसे हर प्रकार के दोषों से मुक्त एवं साफ़ रखा जाएगा।.

**8. अन्य दस्तावेजों से संबंध**
8A. तकनीकी विनिर्देश, मात्रा-पत्रों में सूचीबद्ध वस्तुओं के सामान्य विवरण के लिए हैं। तकनीकी विनिर्देश में निर्दिष्ट या निहित सभी कार्य, मात्रा-पत्रों में मदों का हिस्सा हैं। इसी प्रकार, रेखाचित्रों में दिए गए सभी संकेत और कार्यों का सामान्य विवरण, चाहे निर्दिष्ट हों या निहित, मात्रा-पत्रों में मदों का हिस्सा हैं।
8B. मात्रा बिलों में उद्धृत दरों में तकनीकी विनिर्देशों, रेखाचित्रों और कार्यों के सामान्य विवरण के सभी निर्दिष्ट और निहित कार्य शामिल माने जाएंगे, भले ही मात्रा बिलों में उनका विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

**9. लिफ्ट और लीड**
9A. सभी कार्य मदों के लिए उद्धृत दरों में, जहाँ लागू हो, सभी लिफ्ट और लीड शामिल होंगे।
9B. सभी मलबे और अपशिष्ट पदार्थों को निर्देशानुसार कार्यस्थल से दूर किसी दूरस्थ स्थान पर निपटाया जाएगा।

**CENTRAL BANK OF INDIA**

**LIST OF MATERIALS OF APPROVED BRAND AND/OR MANUFACTURE – FURNISHING**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Commercial plywood confirming to BIS. | Anchor/Archid/Century/Green. |
| 2. | Marine/ water proof plywood confirming to relevant BIS | Anchor/Archid/Century/Green. |
| 3. | Flush Door confirming to relevant BIS | Kutty / Samrat / Garnet / ISI make |
| 4. | Block Board confirming to relevant BIS | Anchor / Samrat / Garnet / ISI make |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | One side Laminated sheet (1 mm thick) | Formica/Greenlam/Eurolam. |
| 6. | One side Laminated sheet (1.5 mm thick) | Formica/Greenlam/Eurolam. |
| 7. | 12 mm thick pre-laminated (on both sides) particle board | NOVAPAN (India) Ltd., or equivalent. |
| 8. | ACP | Al Strong, Superbond, Euro Bond or equivalent. |
| 9. | Soft Board | Jolly Board or equivalent. |
| 10. | Veneer | Composed veneer / Donear / Garnet or equivalent. |
| 11. | Veneer – Indian | Garnet / Donear / Kit ply or equivalent. |
| 12. | Melamine Finish | Wood coat pigmented (2 coats) manufactured by M/s. MRF Ltd. / Asian Paints – as per manufacturers specification |
| 13. | Glazing | Tata Float / Modi float / Saint Gobain |
| 14. | Glazing (Clear) | Modi float / Hindustan / Tata |
| 15. | Mirror | Modi float / Tata asahi |
| 16. | Tower bolt | Jyoti/ ebco / ISI Mark / Flora or equivalent. |
| 17. | Ball catch ordinary | National / ebco / Brass Heavy Duty |
| 18. | Ball catch magnetic | Earl Bihari Pvt. Ltd. |
| 19. | Handle | Dorset / ebco / ISI marked |
| 20. | Hinges for cupboards – with stainless steel rod | Dorset / ebco / ISI marked |
| 21. | Hinges for cupboards – with stainless steel rod | National / Dorset |
| 22. | Box Hinges | Lama Imported |
| 23. | Drawer Guide – Telescopic | Efficient / Earl Bihari or equivalent. |
| 24. | Drawer Guide – Regular | Earl Bihari Pvt. Ltd. or equivalent. |
| 25. | Keyboard – Indian | Earl Bihari Pvt. Ltd. or equivalent. |
| 26. | Keyboard – Imported with HDP | Ebco / ISI marked |
| 27. | Screws | GKW or equivalent |
| 28. | Lock for drawers – multi lock | Efficient / dorset / godrej |
| 29. | Lock – for cupboards | Godrej / dorset |
| 30. | Door Lock – Cylindrical lock | YELE / Union / Godrej / dorset |
| 31. | Door Lock – Mortise | Godrej / dorset |
| 32. | Night latch | Godrej / Yele / dorset |
| 33. | Door Closure | Garnish / Hyper / Everlite |
| 34. | Floor Spring | Everite/ Garnish |
| 35. | Door stopper | Earl Bihari Pvt. Ltd. or equivalent. |
| 36. | Aluminium Section | NALCO / HINDALCO / JINDAL |
| 37. | Adhesive for wood | Fevicol / Vamicol |
| 38. | Rubberized adhesive | SR 998 or SR Express of M/s. Pedilite Industries. |
| 39. | Acrylic sheet | Imported |
| 40. | Asbestos cement sheet | Everest |
| 41. | False Ceiling Sections | India Gypsum Ltd. |
| 42. | Plaster of Paris | Approved quality |
| 43. | Marble | First quality with uniform texture without any crack. |
| 44. | Cement | Larsen & Tubro / ACC - 53 grade or high. |
| 45. | Cement for fixing tiles as dado | Larsen & Tubro / ACC - 43 grade. |
| 46. | White cement | Birla white |
| 47. | Steel for reinforcement | TATA/SAIL conforming to BIS specification. |
| 48. | Water proofing compounds | Roffe/ Cica / Krishna Chemicals / Sunanda Perma quick. |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | Vitrified Tiles | **Kajaria Make** (AGCNL- K6211) /same shade matching in Nitco, Johnson Company ) |
| 50. | Ceramic tiles | Kajaria/ NITCO/Johnson/Somani / City tile. |
| 51. | Sanitary fittings | Hindustan Sanitary ware / Perry ware. **WASH BASIN :** Hindware- Zen Pastel/star white (Cat.No.-10049 56x45) Hindware- Garnet starwhite ( Cat. No.-100048 58x43) **URINAL**: Hindware – Flat back large (Cat no.-60002)**European Water Closet:** Hindware- Green starwhite (Cat. No.-20079) **Hindware-** Slick special (Cat. No.20011 S-28/P-18)Hindware- Star S( Cat No.20087 S-10) |
| 52. | Water supply fixtures | Jaguar continental series / Essco |
| 53. | CI Pipe & fittings – LA Class | Bangal iron Corporation / NICO / BIC |
| 54. | GI Pipe – C Class | TATA/ zenith |
| 55. | Stoneware pipe – Grade A | Dalmia |
| 56. | Cement pipe | Everest |
| 57. | PVC Pipe & fittings | Prince/ Tribore |
| 58. | Gate valve | Leader |
| 59. | Pipe fittings | R Brand or equivalent |
| 60. | Colour pigment | Roffe Compound |
| 61. | Toilet Seat cover | Commander / Patel |
| 62. | Toilet – Accessories | Jaguar continental series |
| 63. | Liquid Soap Container | ASCON Engineers |
| 64. | Hand dryer | ASCON Engineers |
| 65. | Paint | Nerolac/ Asian/ Berger / ICI |
| 66. | Sealant | Silicon – Dow Corning 995<br>Polysulphide – Pedilite Industries |

**LIST OF MATERIALS OF APPROVED BRAND AND/OR MANUFACTURE – ELECTRICAL**

ALL MATERIAL USED MUST HAVE ISI & FIA APPROVED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rigid PVC Conduit | : | Medium Gauge wall thickness ISI & FIA approved & manufactured from virgin material Precision |
| 2. | Accessories for conduit | : | Same make as sr. no. 1 above. |
| 3. | Copper Conductor PVC coated wire (Flexible) (As per IS:694-1977) | : | Finolex (FRLS), Polycab(FRLS) |
| 4. | Switches | : | MK India, Anchor roma |
| 5. | Main Switch fuse upto 63 Amps - A.C. 23 duty | : | L&T |
| 6. | Above 63 Amps-A.C. 23 duty | : | L&T |
| 7. | HRC Fuses | : | L&T |
| 8. | MCBs | : | Legrand (Load Contact) |
| 9. | Distribution boards | : | Legrand (Double Door), Factory fabricated duly as per the drawing. |
| 10. | Rewirable Porcelain Fuse | : | CPL |
| 11. | Telephone wires | : | Finolex as per ITD S/WS-113 B |
| 12. | PVC tape | : | Steel grip. |
| 13. | Compound | : | Shalimar No. 6 |
| 14. | Main Cables downstream up to 35 sq.mm. | : | PVC armoured cable For 1.1 KV as per |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ISI 1554. National / Polycab |
| 15. | Branched Cable downstream from 35 sq.mm. | : | National |
| 16. | Glands | : | Double compression type, Siemen's type with rubber ring and double washers (Sample to be approved) Comet/ Comex |
| 17. | Cable Lugs | : | Dowells, 3-D. |
| 18. | Metal Clad Plugs | : | Legrand |
| 19. | Connectors/ Indicator | : | Technic, Mimic (Static LED type), Technoplast, Porcelain |
| 20. | Button holder, Angle holder, ceiling rose | : | Anchor |
| 21. | M.S. Conduit - ISI marked | : | BEC |
| 22. | M.S. Boxes | : | Fabricated out of 16 gauge continuously welded (sample to be approved) |
| 23. | ELCB | : | Legrand |
| 24. | A.C.B. Drawout type (LT) | : | L&T |
| 25. | Telephone tag block | : | Chrone India Ltd. |
| 26. | Relay | : | L&T |
| 27. | MCCB | : | Legrand |
| 28. | Meter | : | Jaipur, |
| 29. | Light Fixture | : | Havells/Philips/Wipro as specified in the BOQ |
| 30. | Ceiling Fans | : | Crompton (High Breeze/High Flow Series White) |
| 31. | Exhaust Fan | : | Crompton |
| 32. | Electronic call bell / timer | : | Anchor |
| 33. | TV Cable | : | Finolex. |
| 34. | Volt meter & Ammeter (Digital) | : | Meco, AE |
| 35. | Current Transformer | : | AE, Kappa |
| 36. | L. T. Panel | : | L&T or fabricated by CPRI approved fabricator |
| 37. | Data cabling & its Components | : | Systemax / Avaya |
| 38. | Change over switch | : | Havells / HPL |
| 39. | 24 port jack Panel | : | Systemax |
| 40. | 9U / 12U / 15U Rack for jack panel | : | Systemax |
| 41. | The above mentioned makes are given as general guidelines in case make is not mentioned in the bill of quantities. **The contractor to follow the makes mentioned in the schedule (B.O.Q) if applicable and as per best engineering practices.** | | |

नोट:-

- जहाँ एक से अधिक ब्रांड दर्शाए गए हों, ठेकेदार को पहले दर्शाई गई सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बैंक दूसरे और उसके बाद दर्शाई गई सामग्री के उपयोग की अनुमति केवल तभी देगा जब पहले दर्शाई गई सामग्री उपलब्ध न हो और/या वह साइट की स्थिति के अनुसार उपयुक्त *(*रंग, आकार, आकृति, बनावट*)* न हो।
- यदि निविदाकर्ता सामग्री, कारीगरी आदि के विस्तृत विनिर्देश को सत्यापित करना चाहता है तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्यालय से इसका सत्यापन कराया जा सकता है।
- कोई उत्पाद समतुल्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल बैंक द्वारा ही किया जाएगा।

नोट:-

- जहाँ एक से अधिक ब्रांड दर्शाए गए हों, ठेकेदार को पहले दर्शाई गई सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बैंक दूसरे और उसके बाद दर्शाई गई सामग्री के उपयोग की अनुमति केवल तभी देगा जब पहले दर्शाई गई सामग्री उपलब्ध न हो और/या वह साइट की स्थिति के अनुसार उपयुक्त (*रंग, आकार, आकृति, बनावट*) न हो।
- यदि निविदाकर्ता सामग्री, कारीगरी आदि के विस्तृत विनिर्देश को सत्यापित करना चाहता है तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले बैंक के कार्यालय से इसका सत्यापन किया जा सकता है।
- कोई उत्पाद समतुल्य है या नहीं, इसका निर्णय केवल परियोजना प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा।
- कार्य में सीसीटीवी/अग्निशमन/अलार्म प्रणालियों का प्रावधान शामिल नहीं है, जिन्हें सेवा प्रदाता के साथ अनुमोदित/ प्रचलित दरों के अनुसार किया जाएगा।
- बिलिंग प्रयोजनों के लिए सभी माप साइट के सभी मामलों में पूरा होने के बाद लिए गए संयुक्त माप के अनुसार होंगे.
- शाखाओं में हाल ही में विद्युत लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर आईएस कोड और सीओ दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत / डेटा वायरिंग, फिटिंग।
- सभी विद्युत संस्थापन केवल आरसीबीओ से होकर गुजरेंगे.
- सम्पूर्ण परिसर के लिए एकल अर्थिंग पिट उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी एमसीबी, तार, इनकमिंग-आउटगोइंग को टैग किया जाना चाहिए और एसएलडी बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी तार के अंत को उचित रूप से जोड़ा जाना चाहिए.
- समविभव बंधन - सभी धातु भागों को बिना लूपिंग के, न्यूनतम लंबाई पर अर्थिंग पिट से यांत्रिक कनेक्शन के साथ अर्थिंग प्रदान की जानी चाहिए।
- शाखा को सामान्य विद्युत सर्किट से स्वतंत्र यूपीएस सर्किट प्रदान किया जाना चाहिए और सभी सुरक्षा गैजेट यूपीएस सर्किट से जुड़े होने चाहिए।
- ***15*** मीटर से अधिक ऊँची इमारतों के लिए लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था की जाएगी.
- मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक आइसोलेशन ब्रेकर लगाया जाना चाहिए ताकि शाखा बंद होने पर भी सामान्य विद्युत परिपथ को पूरी तरह से अलग रखा जा सके। इस बाहरी आइसोलेशन ब्रेकर को बायपास करके केवल सर्वर से इनपुट कनेक्शन ही प्रदान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सामान्य विनिर्देशन को मात्रा-पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मात्रा-पत्र को कार्य के निष्पादन के आधार के रूप में लिया जा सकता है। विनिर्देशन और मात्रा-पत्र में किसी भी विसंगति की स्थिति में, मात्रा-पत्र को अंतिम माना जा सकता है। ठेकेदार को बैंक से इसकी जाँच करानी चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

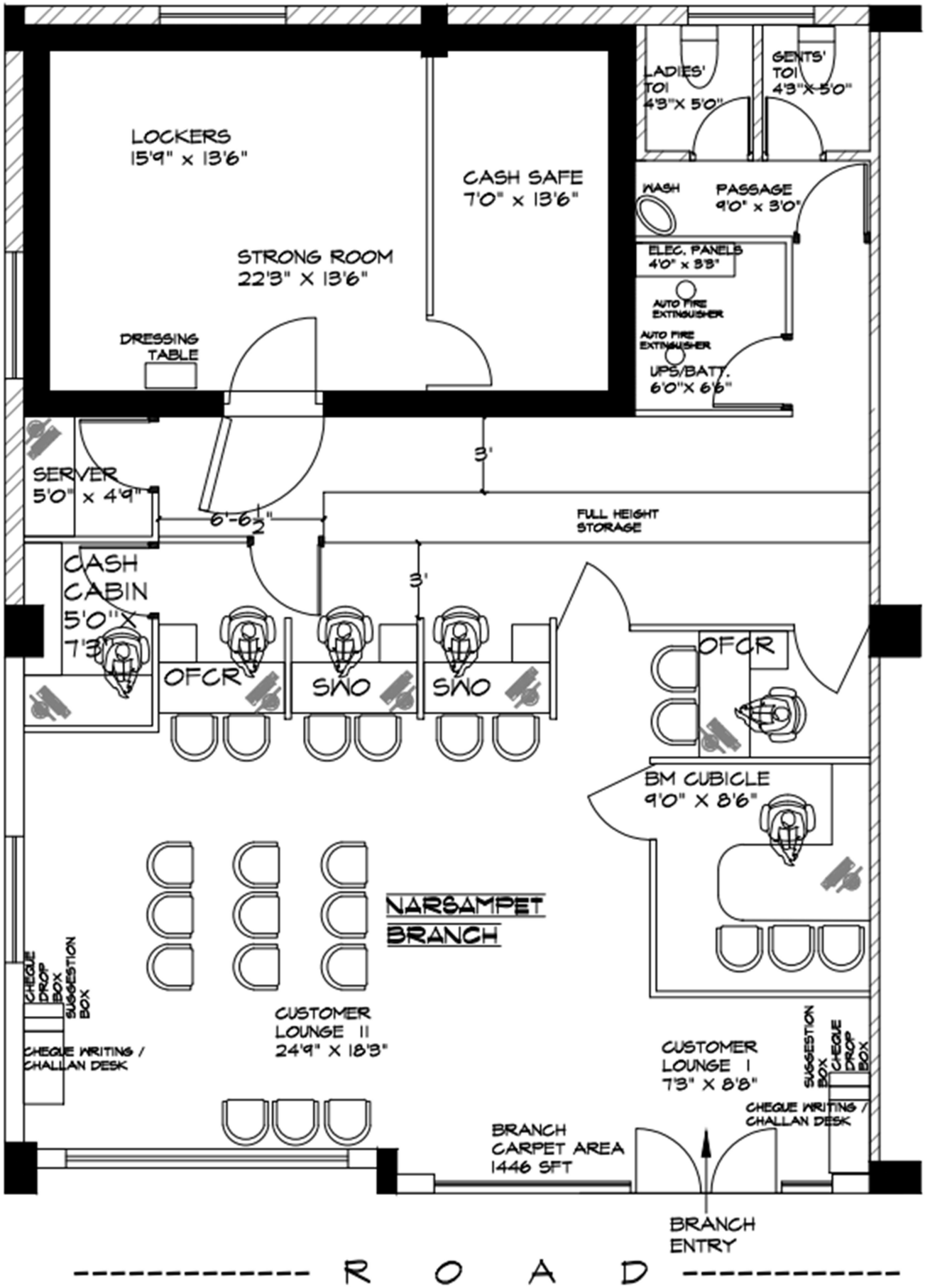
LOCKERS
15'9" x 13'6"
CASH SAFE
7'0" x 13'6"
STRONG ROOM
22'3" X 13'6"
LADIES' TOI
4'3"X 5'0"
GENTS' TOI
4'3"X 5'0"
WASH
PASSAGE
9'0" x 3'0"
ELEC. PANELS
4'0" x 3'3"
AUTO FIRE EXTINGUISHER
AUTO FIRE EXTINGUISHER
UPS/BATT.
6'0"X 6'6"
DRESSING TABLE
SERVER
5'0" x 4'9"
3'
6'-6½"
FULL HEIGHT STORAGE
3'
CASH CABIN
5'0"X 7'3"
OFCR
SWO
SWO
OFCR
BM CUBICLE
9'0" X 8'6"
NARSAMPET BRANCH
CHEQUE DROP BOX
SUGGESTION BOX
CHEQUE WRITING / CHALLAN DESK
CUSTOMER LOUNGE II
24'9" X 18'3"
CUSTOMER LOUNGE I
7'3" X 8'8"
SUGGESTION BOX
CHEQUE DROP BOX
CHEQUE WRITING / CHALLAN DESK
BRANCH CARPET AREA
1446 SFT
BRANCH ENTRY
ROAD

## अखंडता संधि

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आगे "प्रधान" कहा जाएगा,

और

1.मेसर्स गणपति ट्रेडर्स, भोपाल, जिसे आगे "बोलीदाता" कहा जाएगा
के बीच

## प्रस्तावना

**संविदा प्राधिकारी** यह अनुबंध / निविदा निम्नलिखित विषय के अंतर्गत प्रदान करने का अभिप्राय रखता है —**" सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इंटीरियर के प्रस्तावित फर्निशिंग, इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य के लिए निविदा - निदामनूर डीएनओ-1-212, पोस्ट निदामनूर सागर रोड जिला-नलगोंडा 508278 के आंतरिक भागों (इंटीरियर्स) के प्रस्तावित साज-सज्जा, विद्युत एवं डाटा केबलिंग कार्य हेतु निविदा"**

संविदा प्राधिकारी देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों का पूर्ण अनुपालन, संसाधनों के आर्थिक उपयोग तथा बोलीदाताओं (Bidder) और/या ठेकेदारों (Contractor) के साथ निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, संविदा प्राधिकारी एक **स्वतंत्र बाह्य परीक्षक (Independent External Monitor – IEM)** नियुक्त करेगा, जो निविदा प्रक्रिया तथा अनुबंध के निष्पादन की निगरानी करेगा ताकि उपर्युक्त सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

### धारा 1 – संविदा प्राधिकारी की प्रतिज्ञाएँ (Commitments of the Principal)

**(1)** संविदा प्राधिकारी भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय अपनाने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है:

**(a)** संविदा प्राधिकारी का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से, निविदा अथवा अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, अपने या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, कोई भौतिक अथवा अभौतिक लाभ, उपहार, वादा या सुविधा, जिसे पाने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, न तो मांगेगा, न लेगा और न स्वीकार करेगा।

**(b)** संविदा प्राधिकारी निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करेगा। विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, वह सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता को ऐसी गोपनीय या अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा जिससे उसे निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में अनुचित लाभ प्राप्त हो सके।

**(c)** संविदा प्राधिकारी निविदा प्रक्रिया से उन सभी व्यक्तियों को बाहर करेगा जो पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रस्त पाए जाते हैं।

**(2)** यदि संविदा प्राधिकारी को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है जो **भारतीय दंड संहिता** या **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आती है, या इस संबंध में कोई ठोस संदेह उत्पन्न होता है, तो संविदा प्राधिकारी उस सूचना को **मुख्य सतर्कता अधिकारी** को सूचित करेगा और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी आरंभ कर सकता है।

धारा 2 – बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) की प्रतिज्ञाएँ

**(1)** बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) स्वयं को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करते हैं कि वे भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएँगे। वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने तथा अनुबंध के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगे:

**(a)** बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से, संविदा प्राधिकारी (Employer) के उन कर्मचारियों, जो निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में संलग्न हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का भौतिक या अभौतिक लाभ, उपहार, वादा या सुविधा, जो वैधानिक रूप से उन्हें प्राप्त नहीं है, इस उद्देश्य से **नहीं** दिया जाएगा कि बदले में उन्हें किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ या लाभांश प्राप्त हो सके — चाहे वह निविदा प्रक्रिया के दौरान हो या अनुबंध के निष्पादन के दौरान।

**(b)** बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी प्रकार का गुप्त समझौता या अनौपचारिक/औपचारिक सहमति **नहीं** करेंगे।
यह विशेष रूप से लागू होगा —
मूल्य निर्धारण (prices), तकनीकी विनिर्देश (specifications), प्रमाणपत्र (certifications), सहायक अनुबंध (subsidiary contracts), निविदा प्रस्तुत या अप्रस्तुत करने (submission or non-submission of bids) या प्रतिस्पर्धा को सीमित करने अथवा बोली प्रक्रिया में गठजोड़ (cartelisation) करने जैसी किसी भी गतिविधि पर।

**(c)** बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) संबंधित **भारतीय दंड संहिता (IPC)** या **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act)** के अंतर्गत कोई अपराध **नहीं** करेंगे।
साथ ही, वे प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से, संविदा प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक संबंधों के तहत प्रदान की गई योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों, व्यावसायिक विवरणों या किसी अन्य दस्तावेज़ (चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्यों न हो) का अनुचित उपयोग या किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेंगे।

**(d)** विदेशी मूल (foreign origin) के बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) को भारत में अपने **एजेंट/प्रतिनिधि (Agents/Representatives)** का नाम और पता अनिवार्य रूप से बताना होगा।
इसी प्रकार, भारतीय नागरिकता वाले बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) को, यदि कोई हो, अपने **विदेशी प्रिंसिपल (Foreign Principals)** का नाम और पता प्रदान करना होगा।
"**भारतीय एजेंटों हेतु दिशानिर्देश (Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers)**" में वर्णित अन्य सभी विवरण भी बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं।
इसके अतिरिक्त, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय एजेंटों/प्रतिनिधियों को किया गया **संपूर्ण भुगतान केवल भारतीय रुपये (INR)** में ही किया जाएगा।

**(e)** बोलीदाता(ओं)/ ठेकेदार(ओं) को अपनी निविदा प्रस्तुत करते समय यह **प्रकटीकरण (disclosure)** करना होगा कि उन्होंने एजेंटों, ब्रोकरों या किसी अन्य मध्यस्थ (intermediaries) को इस अनुबंध के आवंटन के संबंध में कोई भुगतान किया है, करने का वचन दिया है, या करने का इरादा रखते हैं।

(2) बोलीदाता/ठेकेदार तीसरे व्यक्तियों को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएगा या ऐसे अपराधों का सहायक नहीं होगा।

**धारा 3 – निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता तथा भविष्य की संविदाओं से बहिष्कार**

यदि कोई बोलीदाता / ठेकेदार, निविदा स्वीकृति से पूर्व या अनुबंध के निष्पादन के दौरान, **धारा 2** में उल्लिखित किसी उल्लंघन या किसी अन्य ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है जिससे उसकी विश्वसनीयता या साख संदिग्ध हो जाती है, तो **संविदा प्राधिकारी** को अधिकार होगा कि वह उस बोलीदाता / ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया से **अयोग्य घोषित करे** या "**व्यवसायिक व्यवहार पर प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देश** " के अनुसार कार्रवाई करे।

**धारा 4 – क्षतिपूर्ति (Compensation for Damages)**

**(1)** यदि **संविदा प्राधिकारी** ने **धारा 3** के अनुसार अनुबंध प्रदान करने से पूर्व किसी बोलीदाता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया है, तो प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह **जमानत राशि / निविदा सुरक्षा राशि** के बराबर हानि-क्षतिपूर्ति की मांग और वसूली कर सके।

**(2)** यदि **संविदा प्राधिकारी** ने **धारा 3** के अनुसार अनुबंध समाप्त किया है, या उसे ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है, तो प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह **अखंडता संधि** के अंतर्गत ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के अनुपात में **निर्धारित हर्जाना** अथवा **प्रदर्शन बैंक गारंटी** के समतुल्य राशि वसूल सके।

**धारा 5 – पूर्व उल्लंघन**

**(1)** बोलीदाता यह घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में उसने किसी भी देश के किसी अन्य बैंक या भारत की किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के साथ, जो भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांतों का पालन करती है, ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है जो उसकी निविदा प्रक्रिया से बहिष्करण को उचित ठहराता हो।

**(2)** यदि बोलीदाता इस संबंध में कोई **भ्रामक या असत्य वक्तव्य** देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "**व्यवसायिक व्यवहार पर प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देश**" के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6 – सभी बोलिदाताओ ठेकेदार/उप ठेकेदार के साथ सामान व्यवहार (Equal Treatment)

**(1)** बोलीदाता / ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी **उप-ठेकेदार** भी इस अखंडता संधि के अनुरूप प्रतिबद्धता दें।

**(2)** संविदा प्राधिकारी प्रत्येक बोलीदाता और ठेकेदार के साथ इस संधि के समान शर्तों वाले अनुबंध करेगा।

**(3)** जो बोलीदाता इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा या इसकी शर्तों का उल्लंघन करेगा, उसे संविदा प्राधिकारी द्वारा निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

धारा 7 – उल्लंघन करने वाले बोलीदाता कार्रवाई आपराधिक विरुद्ध के ठेकेदारों-उप / ठेकेदार /

यदि संविदा प्राधिकारी को किसी बोलीदाता, ठेकेदार, उप-ठेकेदार या उनके कर्मचारी, प्रतिनिधि या सहयोगी के ऐसे आचरण की जानकारी मिलती है जो **भ्रष्टाचार** की श्रेणी में आता है, अथवा इस संबंध में कोई ठोस संदेह उत्पन्न होता है, तो संविदा प्राधिकारी इसकी सूचना **मुख्य सतर्कता अधिकारी** को देगा।

धारा 8 – स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक / परीक्षक

(1) **संविदा प्राधिकारी इस संधि के लिए योग्य एवं विश्वसनीय** स्वतंत्र बाह्य परीक्षक **नियुक्त करेगा। इस परीक्षक का कार्य यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि अनुबंध की पक्षकार संस्थाएँ इस संधि की शर्तों का किस हद तक पालन कर रही हैं।**

**(2)** यह परीक्षक किसी भी पक्ष के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं रहेगा तथा अपने कार्य स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ करेगा। वह बोलीदाता / ठेकेदार से संबंधित सूचनाओं एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखेगा और अपनी रिपोर्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगा।

**(3)** बोलीदाता / ठेकेदार यह स्वीकार करता है कि परीक्षक को संविदा प्राधिकारी की सभी परियोजना-संबंधी अभिलेखों तक पूर्ण और निर्बाध पहुँच का अधिकार होगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अभिलेख भी शामिल हैं। ठेकेदार और उप-ठेकेदार परीक्षक को वैध कारण बताए जाने पर अपने अभिलेखों तक समान रूप से पूर्ण पहुँच प्रदान करेंगे। परीक्षक इन सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को गोपनीय रूप से संभालने

**(4)** के लिए इस संधि के अधीन बाध्य होगा। संविदा प्राधिकारी परीक्षक को परियोजना से संबंधित उन सभी बैठकों की सूचना देगा जिनका प्रभाव संविदा प्राधिकारी और ठेकेदार के संविदात्मक संबंधों पर पड़ सकता है। परीक्षक को इन बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

**(5)** यदि परीक्षक को इस संधि का कोई उल्लंघन दिखाई देता है या ऐसा संदेह होता है, तो वह इसकी सूचना संविदा प्राधिकारी के प्रबंधन को देगा और सुधारात्मक / निवारक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। परीक्षक केवल **परामर्शात्मक (non-binding)** अनुशंसाएँ दे सकता है, परंतु किसी भी पक्ष को किसी विशिष्ट कार्यवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
**(6)** परीक्षक, सूचना प्राप्त होने की तिथि से **8 से 10 सप्ताह** के भीतर, **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** को अपनी **लिखित रिपोर्ट** प्रस्तुत करेगा, तथा आवश्यक होने पर सुधारात्मक उपायों के सुझाव देगा।
**(7)** यदि परीक्षक ने **भारतीय दंड संहिता** या **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के अंतर्गत अपराध की आशंका के संबंध में अपनी रिपोर्ट **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** को दी है, और बैंक प्रबंधन द्वारा उचित समय में कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई, तो परीक्षक यह सूचना **केंद्रीय सतर्कता आयोग** को सीधे प्रेषित कर सकता है।
**(8)** "**परीक्षक** " शब्द में एकवचन एवं बहुवचन दोनों का समावेश होगा।

**धारा 9 – संधि की अवधि**

यह संधि उस समय से प्रभावी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी। ठेकेदार के लिए यह संधि अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान की तिथि से **12 माह** तक और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए अनुबंध प्रदान किए जाने की तिथि से **6 माह** तक प्रभावी रहेगी।

यदि इस अवधि के दौरान कोई दावा प्रस्तुत या दर्ज किया जाता है, तो वह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** द्वारा उसे निपटाया या समाप्त नहीं किया जाता।

**धारा 10 – अन्य प्रावधान**

**(1)** यह अनुबंध **भारतीय कानून** के अधीन होगा।
प्रदर्शन का स्थान एवं क्षेत्राधिकार **संविदा प्राधिकारी के पंजीकृत कार्यालय, अर्थात् मुंबई** में रहेगा।
**(2)** इस अनुबंध में कोई भी परिवर्तन, परिशिष्ट या समाप्ति की सूचना **लिखित रूप में** की जाएगी। कोई भी मौखिक या अनौपचारिक सहमति मान्य नहीं होगी।
**(3)** यदि ठेकेदार कोई **साझेदारी** या **संघ** है, तो यह अनुबंध उसके सभी साझेदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
**(4)** यदि इस अनुबंध की एक या अधिक धाराएँ अमान्य पाई जाती हैं, तो शेष अनुबंध वैध और प्रभावी रहेगा। ऐसी स्थिति में, दोनों पक्ष अपने मूल अभिप्राय के अनुरूप नयी सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
**(5)** यदि इस अखंडता संधि और इसके परिशिष्टों के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो **अखंडता संधि की शर्तें ही प्रभावी एवं वरीयता प्राप्त होंगी।**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| (संविदा प्राधिकारी की ओर से) | (बोलीदाताठेकेदार/ या प्रतिनिधि के रूप में) |
| (अधिकृत मुहर) | (अधिकृत मुहर) |

स्थान:

दिनांक :

साक्षी 1:

(नाम एवं पता) _____

_____

साक्षी 2:
(नाम एवं पता) _____

_____